राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए

समग्र राजस्व आवष्यकता

के अनुमोदन हेतु

दायर याचिका

(विव 2014–15 से विव 2018–19 तक की बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि का तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष)

जनवरी, 2017

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

(एन–1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 (विव 16 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन) वर्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 (विव 17 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन. 1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 (विव 18 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रू. में है।

इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए बवटै के अनुमोदन हेतु आवेदन
जयपुर डिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवष्यकता
बवटै	बहुवर्षीय टैरिफ
प्रआटै	प्रपुंजापूर्ति टैरिफ
सेकलाउयो	सेवा कनेक्षन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केपटिव पॉवर प्लांट
घसे	घरेलू सेवा
टउआ	अतिरक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विपुयो	वित्तीय पुनर्संरचना योजना
विव	वित्तीय वर्ष
विव 16	वित्तीय वर्ष 2015–16
विव 17	वित्तीय वर्ष 2016–17
विव 18	वित्तीय वर्ष 2017–18
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
ग्रिस	ग्रिड सब स्टेषन
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
अमांसू	अधिकतम मांग सूचक
मऔष	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू.	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
श्राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
श्राताविनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ/आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग
श्राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम/म.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔष	लधु औद्योगिक शक्ति
सअमा	समानान्तर अधिकतम मांग
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
रा.प्र.यू.	राज्य प्रसारण यूटिलीटि
गै–अवि	गैर– अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता/यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	**विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए प्रक्षेपण**		
अ 2:	**विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवष्यकता**		
		विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय	
		कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	
		विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	
		कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय का प्रक्षेपण	
		कृषि मीटरित श्रेणी	
		कृषि फ्लेट (अमीटरित) श्रेणी	
		विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण का सारांष	
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए वितरण हानि	
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवष्यकता	
अ 3:	**विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय प्रमात्रा तथा लागत**		
		ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन	
		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय लागत	
		स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार	
		प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार	
अ 4:	**पूंजी निवेष प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण**		
अ 5:	**विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवष्यकता**		
		परिचालन एवं संधारण व्यय	
		बीमा व्यय	
		सेवान्त लाभ	
		दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, प्रतिभूति निक्षेप एवं अन्य वित्त प्रभार	
		विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज	
		कार्यषील पूंजी पर ब्याज	
		Â ह्रास	
		साम्या पर प्रतिफल	
		गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय	
		विलम्बित भुगतान शुल्क पोषण पर ब्याज	

		विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवष्यकता	
अ 6:	**विद्यमान टैरिफ से राजस्व**		
		राज्य सरकार से सहायिकी	
		विद्यमान टैरिफ पर राजस्व धाटा	
अ 7:	**राजस्व घाटे का उपचार एवं प्रस्तावित दर वृद्धि**		
		दर युक्तिकरण	
		लोड फैक्टर छूट	
		पावर फैक्टर छूट	
		वोल्टेज छूट	
		घरेलू सेवा (श्रेणी डीएस/एलटी–५)	
		शीघ्र भुगतान छूट	
		अस्थाई आपूर्ति के लिए टैरिफ	
		एच टी उपभोक्ताओ के लिए संविदा मांग से अधिक मांग की धारा	
अ 8:		**दिनांक 22 सितम्बर 2016 के टैरिफ आदेष में माननीय आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देषों की अनुपालना**	
अ 9:		**प्रार्थना**	

सारणियों की सूची

सारणी–1	ऊर्जा बिक्री में विगत प्रवृति (मि.यू)	
सारणी–2	विव 17 व 18 के लिए कृषि उपभोक्ताओं को छोड कर अन्य को प्रक्षेपित बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–3	कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बन्ध भार (कि.वा.)	
सारणी–4	प्रक्षेपित विषिष्ट खपत (किवाध/किवा./वर्ष) कृषि मीटर श्रेणी के लिए	
सारणी–5	कृषि मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या	
सारणी–6	विव 17 व 18 के लिए कृषि मीटर उपभोक्ताओं को प्रक्षेपित बिक्री	
सारणी–7	कृषि फ्लेट दर के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बध भार (कि.वा.)	
सारणी–8	कृषि फ्लेट दर श्रेणी में उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या	
सारणी–9	कृषि फ्लेट दर उपभोक्ताओं को अनुमानित बिक्री	
सारणी–10	वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए कुल बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–11	वितरण हानि में कमी की योजना (प्रतिषत)	
सारणी–12	वितरण हानियां और वितरण परिधि इंटरफस पर ऊर्जा की आवष्यकता	
सारणी–13	विव 17, 18 और 19 के लिए आर. पी. ओ. लक्ष्य	
सारणी–14	विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए ऊर्जा की उपलब्धता (मि.यू.)	
सारणी–15	स्त्रोतवार ऊर्जा विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए (मि.यू.)	
सारणी–16	विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए ऊर्जा संतुलन	
सारणी–17	ट्रांसमिषन और राज्य भार प्रेषण प्रभार (करोड रू.)	
सारणी–18	विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए विधुत क्रय लागत (करोड रू.)	
सारणी–19	अधिषेष/घाटा विव 2016–17 और विव 2017–18 के लिए (करोड रू.)	
सारणी–20	पूंजी निवेष, प्रगतिषील कार्य और पूंजीकरण विव 17 और विव 18 के लिए (करोड रू.)	
सारणी–21	विव 17 और विव 18 के लिए ओ एण्ड एम व्यय हेतु प्रति यूनिट आदर्ष के अनुसार	
सारणी–22	विव 17 और विव 18 के लिए संचालन और रख रखाव का व्यय (करोड रू.)	
सारणी–23	बीमा व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–24	सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)	
सारणी–25	दीर्धकालीन ऋण, सुरक्षा जमा तथा वित्त प्रभार पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–26	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए अनिधिबद्व राजस्व अन्तर	
सारणी–27	विगत वर्षों के अनिधिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज देयता (करोड़ रू.)	
सारणी–28	कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–29	कार्यषील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–30	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए मुल्यह्रास (करोड़ रू.)	
सारणी–31	विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विलम्ब शुल्क की मूल राषि के धन पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–32	विव 17 तथा विव 18 हेतु गैर शुल्क व विधुत परिवहन से आय (करोड़ रू.)	
सारणी–33	विव 17 तथा विव 18 के लिए कुल राजस्व आवष्यकता (करोड़ रू.)	
सारणी–34	वर्तमान टैरिफ पर विधुत विक्रय से राजस्व (करोड़ रू.)	
सारणी–35	राज्य सरकार द्वारा सहायिकी (करोड़ रू.)	
सारणी–36	विव 17 तथा विव 18 के लिए वर्तमान टैरिफ से राजस्व घाटा (करोड़ रू.)	
सारणी–37	निर्देशों की अनुपालना	

अ 1. विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए प्रक्षेपण

1.1 विद्युत अधिनियम की धारा 61 राज्य विनियामक आयोग (इस मामले में राविविआ) को टैरिफ के विनिर्धारण की निबन्धन व शर्तें निर्धारित करने के लिए सषक्त करती है तथा निर्धारित करती है कि ऐसा किये जाने में आयोग अन्य बातों के साथ बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों धारा 61(एफ) से नियंत्रित होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में याचिकाकर्ताओं के लिए विनियम विहित करते समय राज्य आयोग केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) द्वारा विहित विनियमों से भी नियंत्रित होगा।

1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राविविआ) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014, 27 मार्च 2014 को विव 2014–15 से विव 2018–19 की तृतीय नियंत्रणावधि के लिए अधिसूचित किये। द्वितीय नियंत्रणावधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रेल, 2014 से विव 2014–15 से विव 2018–19 तक की तृतीय बहुवर्षीय नियंत्रणावधि शुरू हुयी।

1.3 राविविआ ने नियंत्रणावधि विव 2014–15 से विव 2018–19 के द्वितीय विव वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ आदेष 22 सितम्बर 2016 को अधिसूचित किया।

1.4 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 का विनियम 11 (1) निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता समग्र राजस्व आवष्यकता के पूर्वानुमान, विद्यमान टैरिफ से प्रत्याषित राजस्व तथा नियंत्रणावधि के आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित टैरिफ, प्रयोज्य शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

1.5 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए वाराआ के प्रक्षेपणों के लिए यथासम्भव राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार प्रतिमानों की पालना करने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि विव 2014–15 से विव 2018–19 के तृतीय एवं चतुर्थ विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवष्यकता तैयार किये जाने में विव 2015–16 (एन–1 वर्ष) के अंकेक्षित लेखों का, उपयोग किया है, जिसे इस आवेदन के पष्चात्वर्ती भागों में सारांषित किया गया है।

अ 2. विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवष्यकता

2.1 राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के उपाबन्ध 75 में यथाविहित, याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान ऊर्जा विक्रय के पूर्वानुमान हेतु उपभोक्ताओं, सम्बद्ध भार तथा ऊर्जा विक्रय में विगत संवृद्धि का उपयोग किया है।

2.2 विव 2014–15 से विव 2018–19 की बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष अर्थात विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय के प्रक्षेपणार्थ, याचिकाकर्ता ने राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के उपाबन्ध 75 के अनुसार विगत वर्षों के वास्तविक डैटा तथा आयोग द्वारा पिछले टैरिफ आदेषों में अनुमोदित कार्यप्रणाली का उपयोग किया है। विक्रय का प्रक्षेपण करते समय विभिन्न ग्राहक श्रेणी को ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को भी ध्यान में रखा है।

2.3 पूर्वीवर्ती आंकडों के आधार पर याचिकाकर्ता ने विगत 3, 5, तथा 7 वर्षो की सीएजीआर के अनुसार श्रेणीवार गणना की है। वित्त वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित लेखों पर उक्त सीएजीआर को लागू कर वित्त वर्ष 2016–17 तथा 2017–18, ऊर्जा विक्रय का प्रक्षेपण किया गया है।

2.4 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता के अनुभव व नवीनतम उपलब्ध आंकडों के आधार पर बिक्री में वृद्धि की प्रवृति का यह सबसे उचित अनुमानक है। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि जहां भी यह अनुमानक प्रवृति अनुचित या अस्थिर लगी है, वृद्धि के कारकों को उचित व और अधिक यथार्थवादी अनुमानों को आधार बनाया गया है।

2.5 तथापि निम्न घटनाऐं याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है जिन पर बिक्री पूर्वानुमानों पर समीक्षा करने की आवष्यकता है। ऐसे मामलों में, राजस्व आवष्यकता को, ऐसा परिवर्तन याचिकाकर्ता के युक्तिसंगत नियंत्रण से बाहर होने पर समायोजित किया जा सकता है :

(अ) उपभोक्ताओं का खुले अभिगमन में चले जाने के कारण औद्योगिक विक्रय पूर्वानुमानों में किसी परिवर्तन (धनात्मक या ऋणात्मक) का संधात या आर्थिक मन्दी के कारण उपभोग में गिरावट,

(ब) नियंत्रणावधि के किसी भी वर्ष के लिए याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घण्टों के पूर्वानुमानों में लिये गये स्तर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र को वास्तविक निवेष (इनपुट) में वृद्धि,

(स) बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के अभिवचनानुसार कृषि कनेक्षनों में वृद्धि, तथा

(द) याचिकाकर्ता से पात्र खुले अभिगमन उपभोक्ताओं का प्रव्रजन।

2.6 ऊर्जा विक्रय में अन्तर, विद्युत क्रय लागत तथा वार्षिक राजस्व आवष्यकता मे ंपरितर्वन लायेगा तथा डिस्कॉमों की लाभदायिता को प्रभावित करेगा। इसलिए याचिकाकर्ता अपना प्रकरण निष्पादन की वार्षिक समीक्षा/ट्रयूअप के समय ऐसे समग्र अन्तर को

समायोजित करने के उपायों के साथ प्रस्तुत करने का निवेदन करता है।

विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय

2.7 निम्नलिखित सारणी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विगत वर्षों के दौरान वास्तविक विक्रीत ऊर्जा को सारांषित करती है–

सारणी 1: ऊर्जा विक्रय में विगत प्रवृति (मिलियन इकाइयां)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16 (अनन्तिम)
घरेलू	2180	2658	3032	3142	3491	3761	4068	4418
अघरेलू	835	898	996	1188	1550	1573	1805	1966
सार्वजनिक पथ प्रकाष	75	79	92	110	129	143	168	175
कृषि (मी.)	2062	2777	3288	4148	5135	4258	4715	5238
कृषि (फ्लेट)	1137	1153	1011	783	724	581	530	517
लघु उद्योग	239	248	279	267	277	274	335	301
मध्यम उद्योग	521	548	619	637	664	722	770	735
वृहद उद्योग	2747	3095	3520	3835	3721	3482	4294	3415
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	199	207	222	218	199	195	218	229
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	29	26	26	26	27	32	37	41
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	100	114	107	143	189	200	218	259
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	250	333	430	366	171	161	191	172
विद्युत कर्षण	302	350	330	370	404	404	146	385
योग	**10ए676**	**12ए486**	**13ए951**	**15ए234**	**16ए682**	**15ए784**	**17ए494**	**17ए852**

2.8 फ्लेट रेट कृषि श्रेणी तथा विद्युतकर्षण श्रेणियों को छोड़कर सभी उपभोक्ता श्रेणियो ने ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि दर्षायी है। कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में कमी की प्रवृति प्राथमिक रूप से उपभोक्ताओं के मीटरित श्रेणी में परितर्वन के कारण है।

2.9 मीटरित उपभोक्ता श्रेणियों में विव 2011–12 से ही विक्रीत ऊर्जा में लगभग 11 प्रतिषत की औसत वृद्धि रही है। ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि निम्नलिखित को अधिरोपित की जा सकती है ।

(अ) याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू कनेक्षनों के लिए लम्बित सभी आवेदकों को कनेक्षन दिये जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता में सुधार का नीतिगत निर्णय,

(ब) अतिरिक्त कनेक्षन दिये जाने तथा जल स्तर के नीचे चले जाने से विद्यमान उपभोक्ताओं के उपभोग में वृद्धि के कारण कृषि (मीटरित) विक्रय बढ़ा है।

2.10 इस अवधि के दौरान पूरे देष में सामान्य औद्योगिक समृद्धि के कारण उद्योगो की बिजली खपत में भी बढोतरी हुई है।

2.11 उपरोक्त से यह प्रेक्षित किया जाता है कि उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय, उपभोक्ताओं में वृद्धि, आपूर्ति घण्टों में वृद्धि तथा नीतिगत पहलों के कारण औद्योगिक पुनरूद्धार जैसे विभन्न विषयेतर परिवर्तनषीलता पर निर्भर रहा है। इसलिए विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय के प्रक्षेपण, ऊर्जा विक्रय की हाल की प्रवृति तथा अन्तरों, जो भविष्य में ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने जा रहे हैं, को ध्यान में रखते हुये प्रक्षेपित किये गये हैं।

कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए विक्रय का प्रक्षेपण

2.12 विव 2016–17 एवं 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय ऐतिहासिक विक्रय डैटा माननीय आयोग द्वारा पिछले वर्षों के टैरिफ आदेषों में अनुमोदित कार्यविधि के अनुसार श्रेणीवार सीएजीआर का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित किये जाते हैं। जहां पर भी प्रावृति अनुचित पाई गई है वहां पूर्वानुमानों को उचित रूप से समायोजित किया गया है। विक्रय के प्राक्कलन के समय, कृषि श्रेणी को छोड़कर, सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विगत प्रवृतियां उपयोग में लाई गयी हैं। विभिन्न श्रेणियों के विक्रय के प्राक्कलन में अपनायी गयी पूर्वधारणायें तथा कार्यविधि निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तृत की गयी हैं।

2.13 पिछले पांच वर्षों ने घरेलू श्रेणी में उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्षायी है। विक्रय में वृद्धि व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रागांग्राविियो के अन्तर्गत सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता में वृद्धि तथा जीवनस्तर में वृद्धि के कारण विद्यमान उपभोक्ताओं के विषिष्ट उपभोग में वृद्वि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता को विक्रय की संवृद्धि में यही प्रवृति भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा है।

2.14 उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार ने राज्य में, सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) को 24 x 7 विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु संयुक्त पहल की है। यह पहल बारहवीं योजना के अन्त तक विद्यमान उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिष्चित करने तथा अगले पांच वर्ष में सभी असम्बद्ध उपभोक्ताओं को विद्युत तक अभिगमन उपलब्ध करवाने पर लक्षित है। पहल के अनुसार विव 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान राजस्थान राज्य में छः लाख घरेलू उपभोक्ताओं का परिवर्धन विचारित है।

2.15 यहां यह उल्लेख करना समयाधीन है कि अविधुतिकृत घरों के विधुतिकरण के फलस्वरूप, राज्य में उपभोक्ता मिश्रण में परिवर्तन और साथ ही राज्य सहायिकी वाले उपभोक्ताओं में वृद्धि होगी। याचिकाकर्ता की वित्तिय स्थिति में उपभोक्ता मिश्रण महत्वपूर्ण निर्धारक है और वीआईपी श्रेणी के उपभोक्ताओं में वृद्धि के साथ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन श्रेणियों के लिए टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत के करीब रखी जाए और क्रॉस सब्सिडी के अंतर को कम किया जावे।

2.16 विगत पॉच वर्षों ने अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्षायी है। इस श्रेणी में पिछले कुछ वर्षों में विक्रय में द्रुतगामी संवृद्धि हुयी है, जो द्रुतगामी शहरीकरण तथा हाल के विगत मे वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याषा करता है।

2.17 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि विगत में लघु, मध्यम तथा वृहद उद्योग श्रेणियो के विक्रय में तगड़ी वृद्धि रही है।

2.18 यद्यपि औधोगिक उपभोक्ताओ द्वारा खुली पहॅुच के माध्यम से विद्युत क्रय में वृद्वि के कारण औधोगिक ऊर्जा विक्रय की वृद्वि में कमी हुई थी। याचिकाकर्ता ने ऐसी उपभोक्ताओं के विद्युत विक्रय तद्‌ानुसार प्राक्कलित की गई है।

2.19 सार्वजनिक जलदाय श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय आंकड़े विगत प्रवृति के आधार पर प्राक्कलित किये गये हैं। पूर्व में सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणी के उपभोग में मौलिक वृद्धि हुई है। सभी विद्युत सम्बन्ध मीटरित है और अभी कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नही है। यद्यपि सार्वजनिक जलदाय प्रदाय (मध्यम) से सार्वजनिक जलदाय प्रदाय (वृहद्) में स्थानान्तरण हुए है। इसलिए इस श्रेणी में ऊर्जा विक्रय को उचित समायोजित किया गया है।

2.20 मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति श्रेणी के मामले में, पिछले वर्षों में ह्रासवान प्रकृति प्रेक्षित की गयी है, जो मोबाइल टॉवर उपभोक्ताओं तथा निजी संस्थाओं जैसे कतिपय उपभोक्ता समूहों के अघरेलू तथा अन्य श्रेणी में परिवर्तन को अधिरोपित की जा सकती है। हालांकि वित वर्ष 2013–14 के पश्चात् विक्रय में पूर्व वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याषा करता है।

2.21 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (कृषि को छोड़कर) नीचे सारणी में सारांषित किया गया है:

सारणी 02: विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए श्रेणीवार प्रक्षेपित विक्रय (मि.यू.) (कृषि को छोड़कर)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2016–17 (मि.यू.)	विव 2017–18(मि.यू.)
घरेलू	5357ʊ98	6919ʊ32
अघरेलू	2221ʊ69	2510ʊ75
सार्वजनिक पथ प्रकाष	193ʊ80	214ʊ35
लघु उद्योग	322ʊ18	344ʊ73
मध्यम उद्योग	760ʊ78	760ʊ78
वृहद उद्योग	3523ʊ28	3634ʊ62
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	239ʊ31	250ʊ59
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	43ʊ45	45ʊ74
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	285ʊ25	313ʊ77
मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति	180ʊ85	189ʊ90

विद्युत ट्रेकषन	392ण्31	0
योग	**13520ण्88**	**15184ण्55**

कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

कृषि मीटरित श्रेणी

2.22 कृषि मीटरित श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किये गये है :–

(क) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विद्यमान उपभोक्ता,

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं में परिवर्धन,

(ग) ''कृषि फ्लेट'' से ''कृषि मीटरित'' श्रेणी में रूपान्तरित उपभोक्ता,

(ध) प्रति उपभोक्ता सम्बद्धभार,

(ड.) प्राक्कलित विषिष्ट ऊर्जा उपभोग,

कृषि उपभोग त्र उपभोक्ताओं की संख्या ग्र प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार ग्र विषिष्ट उपभोग

2.23 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। याचिकार्कता ने स्वेच्छिक भार वृद्वि की घोषणा की हैं। जिसके कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार बढने की संभावना है। इसलिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार प्राकलित करने के लिए याचिकाकर्ता ने पिछले सालो से सामान्य वृद्वि पर विचार किया है। वष 2016–17 व 2017–18 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्व भार नीचे दी गयी सारणी में दर्षाया गया है –

सारणी 03: कृषि मीटरिंत प्रति उपभोक्ता का प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (कि.वा) का प्राकलन

विषिष्टियां	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार
विव 2016–17	5ण्82
विव 2017–18	6ण्12

2.24 कृषि मीटरित श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पिछले दो साल के विषिट उपभोग को विचारर्था रखा गया है।

सारणी 04: कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रक्षेपित प्रति वर्ष विषिष्ट उपभोग (कि.वा.घ./कि.वा./वार्षिक)

वित वर्ष	विशिष्ट उपभोग
विव 2016–17	2029ण्57
विव 2017–18	2029ण्57

2.25 निम्नलिखित सारणी, विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए, कृषि मीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ताओं की संख्या को सारांषित करती हैः

सारणी 05: कृषि मीटर श्रेणी के अनुमानित उपभोक्ता संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता संख्या	वर्ष में सम्मलित नये उपभोक्ता संख्या	फ्लेट रेट से मीटर में स्थानान्तरित संख्या	कुल उपभोक्ता संख्या
विव 2016–17	426ए930	15ए000	25ए000	466ए930
विव 2017–18	466ए930	15ए000	10ए000	491ए930

2.26 यहां यह उल्लेख करना समयाचीन है कि फ्लेट दर से मीटरित श्रेणी में परिवर्तन वर्ष में किसी भी समय हो सकता है। अतः याचिकाकर्ता ने 6 माह के लिये मीटर प्रणाली में उपभोग की गणना अनुमानित की है।

2.27 उपरोक्तानुसार विव 2016–17 तथा विव 2017–18 हेतु कृषि मीटर प्रणाली हेतु विद्युत विक्रय का प्राकलन निम्नानुसार सारणी में प्रदेर्षित हैः

सारणी 06: कृषि मीटर श्रेणी का प्रक्षेपित उपभोग (मिलियन ईकाई)

विषिष्टियां	विव 2016–17	विव 2017–18
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	5609ण71	6135ण86

कृषि फ्लेट (अमीटरित श्रेणी)

2.28 कृषि फ्लेट रेट श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय, निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किया गया है –

(अ) वित्तीय वर्ष की शुरूआत में विद्यमान उपभोक्ता,

(ब) 'कृषि फ्लेट' से 'कृषि मीटरित' श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ता,

(स) प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार

(द) अनुमोदित विषिष्ट ऊर्जा उपभोग

कृषि उपभोग त्र उपभोक्ताओं की संख्या ग प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार ग विषिष्ट उपभोग

2.29 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। कृषि फ्लेट रेट (अमीटरित) उपभोक्ताओं के लिए विव 2016–17 व 2017–18 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार के प्राक्कलन के लिए सामान्य वृद्धि ली गई है तथा उसे नीचे दी गयी सारणी में दर्षाया गया है –

सारणी 07: कृषि फ्लेट रेट के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (किवा)

वर्ष	सम्बद्ध भार/उपभोक्ता
विव 2016–17	7ण60
विव 2017–18	7ण60

2.30 याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने विगत टैरिफ आदेषों में फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के लिए विषिष्ट ऊर्जा उपभोग 1945 किवाध/किवा/वर्ष अनुमोदित किया था। इस प्रकार, विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा यथानुमोदित उसी विषिष्ट उपभोग 1945/किवाध/किवा/वर्ष को अपनाया है।

2.31 निम्नलिखित सारणी वित्त 2016–17 तथा वित्त 2017–18 में कृषि अमीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ता परिवर्धन तथा विषिष्ट उपभोग को सारांशित करती है :

सारणी 08: कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में प्रक्षेपित उपभोक्ता की संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता	फ्लेट से मीटरित में रूपान्तरण	अन्तिम शेष
वित्त 2016–17	36ए694	25ए000	11ए694
वित्त 2017–18	11ए694	10ए000	1ए694

2.32 यहां भी यह उल्लेख करना समयाचीन है कि फ्लेट दर से मीटर श्रेणी में परिवर्तन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता ने ऐसे उपभोक्ताओं की कृषि फ्लेट दर श्रेणी के अंतर्गत बिक्री गणना करने हेतु छ माह का उपभोग अनुमानित किया है।

2.33 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये वित्त 2016–17 तथा वित्त 2017–18 के लिए 'कृषि फ्लेट रेट' श्रेणी के अन्तर्गत प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांषित है –

सारणी 09: कृषि फ्लेट रेट उपभोग का प्रक्षेपण

विषिष्टियां	वित्त 17	वित्त 18
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	172ण96	25ण06

वित्त 2016–17 तथा वित्त 2017–18 के लिए ऊर्जा विक्रय प्राक्कलनों का सारांष

2.34 ऊपर वर्णित भागों में बतायी गयी कार्यविधि पर आधारित, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए वित्त 2016–17 तथा 2017–18 के लिए उपलब्ध प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांषित हैः–

सारणी 10: वित्त 2016–17 तथा 2017–18 के लिए प्रक्षेपित विक्रय (मि.यू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	वित्त 2016–17 (मिइ)	वित्त 2017–18(मिइ)
घरेलू	5357ण98	6919ण32
अघरेलू	2221ण69	2510ण75
सार्वजनिक पथ प्रकाष	193ण80	214ण35
कृषि (मी.)	5609ण71	6135ण86
कृषि (फ्लेट)	172ण96	25ण06
लघु उद्योग	322ण18	344ण73
मध्यम उद्योग	760ण78	760ण78
वृहद उद्योग	3523ण28	3634ण62
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	239ण31	250ण59
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	43ण45	45ण74

सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	285ण्25	313ण्77
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	180ण्85	189ण्90
विद्युत कर्षण	392ण्31	0ण्00
योग	**19303ण्55**	**21345ण्47**

वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 की अवधि के लिए वितरण हानि

2.35 विव 2015–16 के अन्त में याचिकाकर्ता की वास्तविक वितरण हानि 31.90 प्रतिषत रही।

2.36 राज्य ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने में वितरण हानियों को कम करने के महत्व से याचिकाकर्ता भलिभाति विज्ञ है इस प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता पहले से ही विभिन्न कदम उठाकर मौजुदा नुकसान के स्तर को नीचे लाने के प्रयास कर रहा है।

2.37 याचिकाकर्ता की पिछले वर्षों में शुरू किये गये वितरण हानि कमी कार्यक्रम का अनुसरण करने तथा भ्रान्त उपभोक्ताओं को लक्ष्य करने के लिए वृद्धित प्रोद्यौगिकी का उपयोग करने तथा प्रक्षेपण अवधि के दौरान हानियों को कम करने की भावना है। एफ. आई.पी., एस.आई.पी. तथा आरएपीडीआरपी आदि के अन्तर्गत किये जा रहे निवेषों से भी वितरण हानि, विषेषतः शहरी क्षेत्रों में कमी प्रत्याषित है।

2.38 याचिकाकर्ता द्वारा वितरण हानि कम करने के प्रयासों को आगे बढाते हुये, परिचालन दक्षता बढाकर सुधार करने के उपायों के अन्तर्गत नुकसान के आधार पर भार वितरण प्रबन्धन, प्रदर्षन की निगरानी व्यवस्था, शतप्रतिषत फीडर्स व ट्रांसफार्मर मीटरिंग, उच्च मुल्यवान उपभोक्ताओं के लिये ए.एम.आर. मीटरिंग फीडर स्तरीय ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण तथा फीडर्स अलगाव आदि अन्य सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे है।

2.39 वितरण हानि में कमी के लक्ष्यों का जोनल से उपखण्ड स्तर तक का निर्धारण कर सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही विषेष तथ आक्रमक सर्तकता अभियान चलाकर चोरी व दुरूपयोग को रोकने के प्रयास किये जा कर संलिप्त व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा निर्धारित वितरण हानि कमी लक्ष्यों की पूर्ती हेतु पूंजीगत निवेष योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

2.40 हानियों में कमी करने हेतु याचि प्रतिबद्ध है। उपरोक्त वर्णित उपायों के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। ये सभी कार्यक्रम याचि राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य हुए समझोते ''उदय योजना'' के अंग है जिसके तहत उच्च स्तर पर प्रयास जारी है।

2.41 याचिकाकर्ता के विस्तृत क्षेत्र, छितरायें हुये भार केन्द्रों एवं कृषि विधुत सम्बन्धों के बाहुल्य को देखते हुए उपरोक्त वर्णित उपायों के परिणाम मिलने में समय लगना स्वाभाविक है। हानि के परिपेक्ष्य में याचि के व्ययों को अमान्य करने के कारण, याचि द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर तथा उपभोक्ता हितो पर सीधे विस्तृत नकारात्मक पडना

स्वाभाविक है और वर्ष 2018–19 तक परिचालन में बदलाव के प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा।

2.42 ए.टी. एण्ड सी. छीजत में कमी करने के प्रयासों एवं उदय योजना की प्रतिबद्धताओं के मध्यनजर, याचि ने वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु छीजत, मानक स्तर पर कम करने का प्रक्षेपण प्रस्ताव निम्न सारणी में सांराषित किया है।

सारणी 11: वितरण हानि कम करने का प्रस्ताव (प्रतिषत)

विशिष्ट	विव 2016–17	विव 2017–18
वितरण हानि (प्रतिषत)	25ण्00:	20ण्00:

2.43 अतः याचिका द्वारा किये जा रहे उपरोक्त वर्णित प्रयासों के मध्यनजर माननीय आयोग कृपया विचार कर, उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित वितरण हानि प्रक्षेपरवक्र पर विचार करें।

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवष्यकता

2.44 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा आवष्यकता विव 2015–16 के अंकेक्षित आकडों, प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय तथा वितरण हानियों के आधार पर, राविप्रनि के अन्तरापृष्ठ पर प्राक्कलित की है–

सारणी 12: वितरण हानियां तथा राविप्रनि के अन्तरापृष्ठ पर ऊर्जा आवष्यकता

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
उपभोक्ताओं को कुल ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	19ए303ण्55	21ए345ण्47
वितरण हानि प्रतिशत	*25ण्00:*	*20ण्00:*
राविप्रनि अन्तरापृष्ठ बिन्दु पर डिस्कॉम की कुल ऊर्जा आवष्यकता (मि.ई.)	**25ए738ण्06**	**26ए681ण्83**

अ 3: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय मात्रा तथा लागत

ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन

ऊर्जा उपलब्धता

3.1 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए ऊर्जा उपलब्धता वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित आकडों के आधार से प्राकलित मानी गयी है।

3.2 विव 2016–17 के लिए ऊर्जा उपलब्धता वर्तमान कार्यरत व प्रस्तावित नवीन उत्पादन केन्द्रों के आधार पर प्रक्षेपित है। याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वर्तमान उत्पादन संयत्र से विद्युत क्रय की मात्रा के निर्धारण के लिए पिछले सालों मे प्राप्त ऊर्जा को ध्यान में रखा गया है। याचिका कर्ता ने मौजूदा बिजली स्थति का विष्लेषण किया है। और तद्नुसार ऊर्जा आवष्कता व वरीयता सिद्वान्त के आधार पर ऊर्जा क्रय का प्रक्षेपण किया गया है। ऐसे स्टेषन जो कि वर्ष 2015–16 मे स्थापित हुऐ हैं और वर्ष में कुछ समय के लिए ही उपलब्ध थे, ऐसे स्टेषनों से ऊर्जा क्रय की गणना उसकी क्षमता, संयत्र भार घटक और सहायक उपभोग के आधार पर की गई है।

3.3 नये विधुत स्टेषनों से विधुत क्रय, राजस्थान राज्य को विनिहित हिस्से/अनुबन्ध आधार प्रतिषतता में माना गया है। प्लान्ट लोड फेक्टर व सहायिकी ऊर्जा खपत का निर्धारण पूर्ववर्ती रूझान और माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार प्रस्तावित है। वर्ष के लिये इस प्रकार के नये स्टेषनों से बिजली खरीद की गणना तिथि, इनके प्रस्तावित वाणिज्यिक तिथि से की गयी है।

3.4 यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता अक्षय स्त्रोतों से क्रय हेतु ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और अक्षय स्त्रोतों से खरीद लगातार बढ रही है। अब यह माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अक्षय क्रय अनिवार्यता बाध्यता के करीब है।

3.5 राजस्थान, भारत में सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु उच्चतम स्थापित क्षमता वाला राज्य है। पवन ऊर्जा उत्पादन फर्म क्षमता का लगभग 20: राजस्थान में है। दिनांक 30.09.2016 को पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 4120 मेगावाट, राजस्थान में है। इसके बावजूद भी राजस्थान की वितरण कम्पनियां अपने आर.पी.ओ. दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है।

3.6 अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्वों को पूरा करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, पर्याप्त जल स्त्रोतों को अक्षय स्त्रोतों के साथ एकीकरण में संचालित किया जा सकता है जिससे कि अक्षय ऊर्जा को अवषोषित करने की कमी दूर हो सकेगी। अक्षय ऊर्जा की कमी, राज्य की मांग व वितरण कम्पनियों के ऊपर आ रहे आर्थिक भार के मध्यनजर, माननीय आयोग तथा अक्षय ऊजा मंत्रालय को, अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को निम्नानुसार संषोधित करने हेतु निवेदन किया गया है:–

सारणी 13: अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व विव 2016–17 तथा 2017–18

क्र.सं.	वर्ष	दायित्व ऊर्जा उपभोग के प्रतिषत में जल विधुत द्वारा उपभोग को छोड कर			
		पवन	जैव ईधन	सौर	कुल
1	2016–17	8य10	0य35	1य25	9य70
2	2017–18	8य65	0य35	3य89	12य89
3	2018–19	8य65	0य35	5य11	14य11

3.7 तदन्तर निवेदन है कि विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित आरपीओ चक्र द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।

3.8 उपरोक्त वर्णनानुसार याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु स्त्रोतवार ऊर्जा क्रय की गणना की है और माननीय आयोग से अनुमोदन हेतु विनम्र प्रार्थना है।

3.9 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 के लिए 4.11 प्रतिषत राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां राजस्थान प्रसारण निगम के लिये अनुमोदित टैरिफ आदेष के अनुसार आंकलित की है। तथा उतरी ग्रिड पर औसत साप्ताहिक हानियों के आधार पर 3.15 प्रतिषत अर्न्तराज्यीय प्रसारण हानियां अंकलित की है। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर विव 2017–18 के लिए भी राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां तथा अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां मानी हैं।

3.10 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समस्त स्त्रोतों से कुल ऊर्जा उपलब्धता नीचे दी गयी सारणी में सारांषित की गयी है –

सारणी 14: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
राज्य के बाहर के स्त्रोतों से सकल उपलब्ध ऊर्जा **(अ)**	9505य21	9673य18
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (प्रतिषत)	3य15:	3य15:
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (मि.इ.)	299य14	304य71
राज्य के बाहर से निवल उपलब्ध ऊर्जा	9205य79	9368य48
जोड़ें– राज्य के भीतर उत्पादित ऊर्जा **(ब)**	19787य25	22504य39
राज्य में उपयोग हेतु उपलब्ध निवल ऊर्जा	**28ए993य04**	31ए872य87
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (प्रतिषत)	4य11:	4य11:
राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (मि.इ.)	1191य61	1309य97
वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा	**27ए801य43**	**30ए562य89**
योग (अ)(ब)	**29ए292य45**	**32ए177य57**

सारणी 15: स्त्रोतवार ऊर्जा, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 (मि.यू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
स्त्रोतवार क्रेत ऊर्जा		
राविउनि/राज्य उत्पादन	12831प82	12433प32
भानाविनिलि	1227प27	1227प27
श्राताविनि	2259प51	2377प15
श्राजविनि	729प74	777प17
आइपीपी/यूएमपीपी	6975प83	7244प26
साझेदारी परियोजनायें	1554प57	1371प57
अन्य स्त्रोत व एसजेवीएनएल	444प92	474प59
राज्य के भीतर गैर– पारम्परिक	2411प88	3326प09
नए स्टेशन	856प92	2946प16
योग	**29ए292प45**	**32ए177प57**

विव 2016–17 तथा विव 2017–18के लिए ऊर्जा संतुलन

3.11 अनन्तिम तथा प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय पर आधारित, वितरण हानि कमी योजना, आहरण अनुपात तथा अनुवर्ती अन्तर्राज्यीय विक्रय पर आधारित विद्युत क्रय के अनुसार विव 2016–17 तथा विव 2017–18के लिए जविविनिलि का ऊर्जा संतुलन नीचे सारणी में सारांषित किया गया है ।

सारणी 16: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ऊर्जा संतुलन

विषिष्टियां	इकाइयां	विव 17	विव 18
प्राक्कलित विक्रय	मि.इ.	19303प55	21345प47
वितरण हानियां	:	25	20
ऊर्जा आवष्यकता	**मि.इ.**	**25738प06**	**26681प83**
डिस्कॉम परिधि पर ऊर्जा उपलब्धता	मि.इ.	27801प43	30562प89
ऊर्जा अधिषेष/(कमी)	**मि.इ.**	**2063प36**	**3881प06**

विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विद्युत क्रय लागत स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार

3.12 याचिकाकर्ता ने, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए, विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत, निम्नलिखित पूर्वधारणाओं पर आधारित प्रक्षेपित की है :

(क) कोयला, गैस तथा जल आधारित विद्युत संयंत्र से विव 2016–17 व 2017–18 में विभिन्न बिजली संयंत्रों की प्रति यूनिट लागत तय करने के लिये विव 2015–16 की वास्तविक लागत में 2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा में प्लांट लोड फैक्टर, उपलब्धता इत्यादि के आधार पर माना है।

(ख) नाभिकीय विद्युत संयन्त्रों के लिए भी 2 प्रतिषत की वृद्धि दर लागत से प्राकलन किया गया है। दिनांक 09.03.2016 को लोक सभा प्रष्न के प्रत्युत्तर में डीईए द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर अनुसार एवं विगत व्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखा गया है।

(ग) वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 चालू होने वाले उत्पादन केन्द्रों के मामलों में स्थाई प्रभारों तथा परिवर्तनीय प्रभारों के लिए उसी प्रकृति के उत्पादन केन्द्रों के समकक्ष गणना की गयी है।

(घ) विद्युत क्रय लागत का विनिर्धारण करते समय विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए अन्य प्रभारों (उपकर, विद्युत शुल्क आदि सहित) पर विचार नहीं किया गया है। यह निवेदन है कि विव 2016–17 तथा 2017–18 के अंकेक्षित लेखे माननीय आयोग को उपलब्ध करवाये जाने पर ट्रयूअप कर दिये जायेंगे।

प्रसारण एवं राभाप्रेके प्रभार

3.13 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए भाविग्रिनिलि तथा राविप्रनि के प्रसारण प्रभार विव 2015–16 के वास्तविक अंकेक्षित प्रभार पर 5–15 प्रतिशत वृद्धि को उचित मानते हुए गणना की गयी है।

3.14 यह निवेदन है कि विव 2016–17 तथा 2017–18 के वास्तविक लेखे माननीय आयोग को उपलब्ध करवाये जाने पर ट्रयूअप कर दिये जायेंगे।

3.15 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए माने गये प्रसारण एवं राभाप्रेके प्रभार नीचे सारणी में दिये गये हैं –

सारणी 17: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रभार (करोड़ रू.)

प्रसारण प्रभार	विव 2016–17	विव 2017–18
भाविग्रिनिलि	548ण06	575ण47
श्राविप्रनि	916ण45	962ण27
राभाप्रेके	7ण17	7ण53
उक्षेभाप्रेके	1ण42	1ण49
कुल प्रसारण एवं राभाप्रेके	**1ए473ण10**	**1ए546ण75**

कुल विद्युत क्रय लागत

3.16 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए विभिन्न स्त्रोतों से प्रक्षेपित विद्युत क्रय लागत नीचे सारणी में सारांषित की गई है :

सारणी 18: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 में विद्युत क्रय लागत (करोड़ रू.)

स्टेषन	विव 17	विव 18
राविउनि/राज्य उत्पादन	5300प22	4978प35
भानाविनिलि	357प73	357प73
श्राताविनि	717प02	726प54
श्राजविनि	244प29	254प01
आइपीपी/यूएमपीपी	2226प67	2286प74
साझेदारी परियोजनायें	120प67	47प65
अन्य स्त्रोत व एसजेवीएनएल	164प23	171प74
राज्य के भीतर गैर– पारम्परिक	1177प05	1599प01
नए स्टेशन	343प30	1406प57
स्कल	10ए651प18	**11ए828प34**
प्रसारण लागत	1473प10	**1665प29**
कुल विद्युत क्रय लागत	12124प28	**13493प62**

3.17 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि ऊर्जा क्रय–विक्रय एक गतिषील प्रक्रिया है। बाजार समाषोधन कीमतें विधुत की उपलब्ध मात्रा, क्रेता तथा विक्रेता द्वारा रखी गयी बोलियों के आधार पर ऊर्जा एक्सचेंज में दरे प्रभावित होती रहती है। याचि निवेदन करता है कि एक्सचेंज बाजार पर उसका नियंत्रण नही है। वर्ष 2015–16 में याचि द्वारा अधिषेष ऊर्जा का विक्रय 2.50 रू. / कि.वा.घ. की दर पर किया गया था। उपरोक्त के मध्यनजर वर्ष 2016–17 में नये स्टेषन्स आने, विक्रय में कमी तथा उपभोक्ताओं द्वारा खुले माध्यम से ऊर्जा क्रय के कारणों से अधिषेष ऊर्जा विक्रय करना अनुमानित है। उपलब्ध अधिषेष ऊर्जा को अल्पकालीन माध्यम द्वारा राजस्व अर्जन हेतु विक्रय किया जाना भी अनुमानित है।

3.18 नीचे दी गयी सारणी कुल विद्युत क्रय लागत दर पर विद्युत के अल्पकालीन क्रय/विक्रय के संधात को सारांषित करती है तथा व्यापार से निवल आय पश्चातवर्ती अनुच्छेदों में राजस्व वर्णित है। :

सारणी 19: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए अधिषेष/धाटा लेखा (करोड़ रू.)

विषिष्टियां	इकाइयां	विव 17	विव 18
ऊर्जा अधिषेष	मि.ई.	2063प36	3881प06
अल्पकालीन दर (वास्ते ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से विक्रय)'	रू. किवाध	2प50	2प50
विद्युत ट्रेडिंग से राजस्व	**करोड. रू.**	**515प84**	**970प27**

' विव 2015–16 के दौरान अल्पकालीन के माध्यम से विद्युत क्रय वास्तविक प्रति यूनिट दर के अनुसार है।

3.19 विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत का ब्यौरा प्रपत्र 3.1 में दर्षाया गया है।

अ 4: पूंजी निवेष, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य एवं पूंजीकरण

4.1 याचिकाकर्ता विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु वित वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित निवेष पर आधारित तथा आयोग को यथाप्रस्तुत निवेष योजनानुसार विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए निवेष योजना आधारित है।

4.2 नीचे दी गई सारणी प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय योजना, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के दौरान पूंजीकरण को सारांषित करती है :

सारणी 20: विव 17 तथा विव 18 के लिए पूंजी निवेष, प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण (करोड़ रू.)

विवरण	विव 17	विव 18
प्रारम्भिक प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य	1135ण87	588ण67
जोड़ें – वर्ष के दौरान पूंजी निवेष	1807ण46	1792ण79
उप– योग	**2943ण33**	**2381ण46**
घटायें – वर्ष के दौरान पूंजीकृत परिसम्पत्तियां (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को स्थानान्तरित परिसम्पत्तियों)	2354ण66	1905ण16
अन्तिम पूंजीगत प्रगत्याधीन कार्य	**588ण67**	**476ण29**

अ 5: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवष्यकता

परिचालन एवं संधारण व्यय

5.1 परिचालन एवं संधारण (प.एवं.सं.) व्ययों में कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं संधारण (म.एवं.सं) व्यय तथा प्रषासकीय व सामान्य (प्र.एवं.सा.) व्यय निहित हैं।

5.2 वितरण व्यवसाय के लिए प.एव.सं. व्यय के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिमान विक्रीत ऊर्जा की प्रति इकाई पर आधारित है तथा राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

5.3 उपरोक्त टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रणावधि (अर्थात् विव 2014–15) के प्रारम्भण पर अनुज्ञात प्रासमिक प.एव.सं. व्ययों को नियंत्रणावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 5.85 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर पर बढाया जाना है।

5.4 प.एव.सं. व्ययों का राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 में विनिर्धारित प्रतिमानों तथा वर्ष के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय को गुणा करके विनिर्धारण किया जाता है। नियंत्रणावधि विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष लिए प्रत्येक अवयव हेतु प्रति इकाई प्रतिमान निम्नानुसार है :

सारणी 21: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रतिमानित प्रचालन एवं संधारण व्यय दर

(रू./किवाध)

विवरण	विव 17	विव 18
कर्मचारी व्यय	0.43	0.45
प्र.एवं.सा. व्यय	0.04	0.05
म.एव.सं. व्यय	0.09	0.09

5.5 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्रक्षेपित प्रासमिक प.एवं.सं व्यय ऊपर वर्णित कार्यविधि के अनुसार परिकलित हैं तथा व्यय नीचे सारणी में सारांषित हैं :

सारणी 22: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
कर्मचारी लागत		
प्रति इकाई प्रतिमान	0.43	0.45
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.इ.)	19303.55	21345.47
सकल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**821.87**	**961.97**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	255.68	299.26
निवल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**566.19**	**662.71**
प्र.एवं.सा. व्यय		
प्रति इकाई प्रतिमान	0.04	0.05
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.इ.)	19303.55	21345.47
सकल प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.)	**86.51**	**101.26**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	28.95	33.88
निवल प्र.एवं. सा. व्यय	**57.57**	**67.38**

म.एव.सं. व्यय		
प्रति इकाई प्रतिमान	0ण्09	0ण्09
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.इ.)	19303ण्55	21345ण्47
म.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**173ण्03**	**202ण्52**
सकल प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**1081ण्41**	**1265ण्75**
घटायें – पूंजीकृत व्यय (करोड़ रू.)	284ण्62	333ण्14
निवल प.एव.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**796ण्78**	**932ण्61**

बीमा व्यय

5.6 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए बीमा व्ययों का प्राक्कलन, राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 25 में निर्धारित उच्चतम के अध्यधीन निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के आधार पर किया गया है।

सारणी 23: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए बीमा व्यय(करोड़ रू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)	11ए715ण्41	13ए012ण्47
निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के 0.2 प्रतिषत की दर पर बीमा व्यय	**23ण्43**	**26ण्02**

सेवान्त लाभ

5.7 सेवान्त लाभ दायित्व के विनिर्धारण हेतु याचिककर्ता ने लेखांकन मानक– 15 (कर्मचारी लागत) के अन्तर्गत निर्धारित दिषा–निदेर्षों को अपनाया है। लेखांकन मानक – 15 के क्रियान्वयन के लिए दिषा निर्देष उल्लेख करते हैं कि नियोक्ता स्थापित प्रावधायी निधि युक्त लाभ, जिन्हें ब्याज की कमी उपलब्ध करवाये जाने की आवष्यकता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाना है। लेखांकन मानक – 15 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष पेंषन तथा उपादान के सम्बन्ध में सेवान्त लाभों की कमी के लिए प्रावधान किया है।

5.8 याचिकाकर्ता ने सेवान्त लाभ, विव 2015–16 के दौरान उपगत अंकेक्षित व्ययानुसार आधार माना है आयोग से नीचे सारणी में यथादर्षित व्यय अनुज्ञात करने की प्रार्थना है:

सारणी 24: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
वर्ष के लिए सेवान्त लाभ	**700ण्00**	**700ण्00**

दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा अन्य वित्त प्रभार

5.9 दीर्धकालीन ऋण पर ब्याज, प्रासमिक के आधार पर माना गया है। वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित लेखानुसार दीर्घकानीन ऋणों का अन्तिम शेष वर्ष 2016–17 के प्रारम्भिक शेष माना गया है।

5.10 वर्ष के लिये किये जाने वाले कुल पूंजीकरण में से प्रेक्षेपित उपभोक्ता अंषदान राषि को

कम कर दिया गया है। शेष 30 प्रतिषत पूंजीकरण इक्विटि के माध्यम से प्राप्ती मानी गयी है। तथा शेष राषि दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि मानी गयी है। राविविआ. टैरिफ विनियम 2014 के अनुच्छेद 21 के अनुरूप दीर्घावधि ऋणों का चुकवारा माना गया है जो कि वर्ष के लिये ह्रास व्यय सीमा तक निहित है। वर्ष 2016–17 के लिये कुल प्रसमन ऋण अन्तिम शेष, प्रसमन ऋण भुगतान कम करके माना गया है।

5.11 वित्तिय वर्ष 2017–18 हेतु प्रसमन आधार पर ब्याज की गणना हेतु वही सिद्धांत एक रूपता से अपनाया गया है जो कि ऋणों मे प्रारम्भिक शेष की गणना हेतु है।

5.12 दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, याचिकाकर्ता के दीर्धकालीन ऋणों के लिए वास्तविक भारित औसत ब्याज दर पर प्राक्कलित किया जाता है तथा प्रासमिक ऋणों के औसत (प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रासमिक ऋण का औसत) पर प्रयुक्त किया जाता है। विव 2015–16 के दौरान दीर्धकालीन ऋणों पर वास्तविक औसत ब्याज दर का प्राक्कलन 12.40 प्रतिषत पर किया गया है तथा यह दर, विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज प्रभारों के प्राक्कलन हेतु वर्ष के दौरान प्रासमिक ऋणों के औसत शेष पर प्रयुक्त की जाती है।

5.13 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, वित वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार पिछले दो वर्षों में वास्तविक प्रतिभूति निक्षेप के औसत तथा उपभोक्ताओं की सख्या में प्रक्षेपित वृद्धि के आधार पर परिकलित किया गया है। ब्याज की दर यथाप्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर 7.75 प्रतिषत दिनांक 01.04.2016 को निर्धारित आधार अनुसार मानी गयी है जो कि राविविआ – विधुत प्रदाय की शर्तो के अनुरूप है।

5.14 वित्त प्रभार या अन्य उधारी की लागत, वित वर्ष 2015–16 अंकेक्षित लेखों के अनुसार विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए वास्तविक से 5 प्रतिषत प्रतिवर्ष बढ़ाकर प्राक्कलित की गयी है।

5.15 विव 17 तथा विव 18 के लिए दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति पर प्राक्कलित ब्याज तथा वित्त प्रभार नीचे सारणी में सारांषित हैं –

सारणी 25: दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
प्रासमिक ऋण का प्रारम्भिक शेष	4557ण्74	5264ण्74
वर्ष के दौरान मानित परिवर्धन	1479ण्69	1145ण्95
मानित परिषोधन	772ण्69	877ण्96
मानित ऋण का अन्तिम शेष	5264ण्74	5532ण्73
वर्ष के दौरान औसत शेष	**4911ण्24**	**5398ण्74**
ब्याज दर (प्रतिषत)	12ण्40:	12ण्40:

प्रासमिक ऋणों पर ब्याज भुगतान	**609ण्08**	**669ण्54**
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	82ण्76	87ण्52
वित्त प्रभार तथा अन्य उधारी लागत	97ण्76	102ण्65
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**789ण्60**	**859ण्71**

विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज

5.16 याचिका के वित्तिय वर्ष 2013–14 के ट्रॅ–अप अनुमोदन आदेष में माननीय आयोग ने वर्ष 2013–14 तक रू. 13,643.64 करोड का अनिबद्ध राजस्व अन्तर अनुमोदित किया था एवं इसकी वहन लागत, दीर्घकालीन ऋणों पर देय औसत ब्याज दर के बराबर अनुमोदित की थी। उस पर 12.36 प्रतिषत प्रति वर्ष की दर पर रखाव लागत अनुज्ञात की।

5.17 आयोग ने वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लिए क्रमषः 1156 करोड रू तथा 592 करोड रू का अनिबद्व राजस्व अन्तर अनुमोदित किया है। जिसके कारण अनुमोदित अनिबद्व राजस्व अन्तर 15391.64 करोड रू हो गया है।

5.18 याचिकाकर्ता की 31 मार्च, 2016 को संचित वित्तीय हानियॉ 32,294.00 करोड रू हो गई थी। लेकिन 31 मार्च, 2016 को वास्तिविक हानियॉ 35,161.44 करोड रू थी। राज्य सरकार ने मार्च, 2009 तक संचित 4410.43 करोड रू की हानियॉ को ले लिया था। इसलिए वास्तिविक हानियॉ और बेंलेसषीट में र्दषाई संचित हानियॉ में 2867.44 करोड रू का अन्तर है।

5.19 राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के साथ वर्ष 2008–09 तक की हानियॉ की नकद सहायता के द्वारा वर्ष 2021–22 तक भरपाई के लिए एक एमओयू हस्ताक्षरित किया था। वर्ष 2015–16 तक याचिकाकर्ता को 978.19 करोड रू राज्य सरकार द्वारा ली गई 2867.44 करोड रू की हानियॉ के प्रति प्राप्त हो चुके हैं।

5.20 याचिकाकर्ता अनुमोदित अनिबद्व राजस्व अन्तर और वास्तिविक हानियों के अन्तर के कारण गम्भीर वित्तिय दबाव महसूस कर रहा हैं । याचिकाकर्ता की क्रियात्मक ओर वित्तीय क्षमता को सुधारने हेतु , इस अन्तर की भरपाई के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझोते के अन्तर्गत याचिकाकर्ता के 30.09.2015 तक के ऋणों के 75 प्रतिषत को अधिगृहीत कर लिया है।

5.21 लेकिन त्रिपक्षीय समझौते के हस्ताक्षरित होनें के पष्चात् राज्य सरकार द्वारा नकद सहायता के द्वारा वर्ष 2009 तक की ली गई हानियों की भरपाई को रोक दिया गया है। इसलिए वास्तिविक संचित हानियों को निकालने के लिए बैलेंसषीट में दषाई गई हानियों को 1889.25 करोड रू (2867.44 – 978.19) तक बढाया गया है।

5.22 इसलिए पिछले सालों के अनिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज की गणना के लिए, याचिकाकर्ता ने अनिबद्व राजस्व अन्तर को वास्तविक संचित हानियॉ और वास्तविक लिए गये ऋण के अन्तर की सीमा तक कम कर दिया है। जिसकी विस्तृतियां नीचे दी गई सारणी में दषाई गई है।

सारणी : 26 वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए अनिबद्व राजस्व अन्तर

	विवरण	े ब्त
।	31.03.2016 तक सचिंत हानि	32ए294ण00
ठ	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण	2867ण44
ब्	राज्य सरकार द्वारा ली गई वित्तीय हानियॉ के प्रति प्राप्त अनुदान	978ण19
क	31.03.2016 कों वास्तिविक संचित हानियॉ ;।ठ.ब्द्ध	34ए183ण25
म्	उदय योजना के अन्तर्गत लिया गया ऋण	20ए998ण41
ि	अन्तर ;क.म्द्ध	13ए184ण75
ळ	आयोग द्वारा अनुमोदित अनिबद्व राजस्व अन्तर	15ए391ण64
	ब्याज दायत्वि की गणना के लिए विचारार्थ अनिबद्व राजस्व अन्तर (एफ और जी का न्यूनतम)	**13ए184ण75**

5.23 अनिधिबद्व राजस्व पर ब्याज का परिकलन किये जाने के उद्देष्य से याचिका कर्ता ने भारित औसत ब्याज की दर वित्तीय वर्ष 2015–16 के उपलब्ध अंकेक्षित लेखा अनुसार मानी है।

5.24 अनिधिबद्व राजस्व अन्तर के ब्याज दायित्व की विस्तृतियां निम्न सारणी में प्रदर्षित हैं।

सारणी 27: विगत वर्षों के अनिधिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज दायित्व (करोड़ रू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
अनिबद्व राजस्व अन्तर	13ए184ण84	13184ण84
ब्याज की औसत दर	**12ण40:**	**12ण40:**
ब्याज दायित्व	**1635ण15**	**1635ण15**

5.25 याचिकाकर्ता पर विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए कुल ब्याज दायित्व नीचे सारणी में सारांषित है :

सारणी 28: कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)

विवरण	विव 17	विव 18
प्रासथिक कर्ज पर ब्याज भुगतान	609ण08	669ण54
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	82ण76	87ण52
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	97ण76	102ण65
अनिधिबद्व अन्तर पर ब्याज दायित्व	1635ण15	1635ण15
सकल ब्याज प्रभार	**2424ण76**	**2494ण86**
पूंजीकृत ब्याज व्यय	144ण79	148ण98
निवल ब्याज व वित्त प्रभार	**2279ण96**	**2345ण88**

कार्यषील पूंजी पर ब्याज

5.26 याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 के लिए अपनी कार्यषील पूंजी आवष्यकता का प्राक्कलन राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 27 (3) के अनुसार किया है। कार्यषील पूंजी आवष्यकता, निम्नलिखित प्राचलों को ध्यान में रखते हुये, परिकलित की गई है : –

(अ) एक महीने के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

(ब) राविविआ टैरिफ विनियम 2014 के विनियम 83 के अनुसार प.एव.सं. व्ययों के 15 प्रतिषत संधारण स्पेयर्स,

(स) उपभोक्ताओं के 1) माह के विपत्रण के बराबर प्राप्यतायें,

(द) बैंक प्रत्याभूति के रूप में धारित प्रतिभूति निक्षेपों को छोड़कर, वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं (खुला अभिगमन उपभोक्ता) तथा फुटकर आपूर्ति उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप, वर्ष के लिए कुल कार्यषील पूंजी आवष्यकताा के निर्धारण हेतु उपरोक्त में से कम की गयी है।

5.27 कार्यषील पूंजी पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित नवीनतम आधार दर के आधार पर 250 आधार अंक जो कि 11.80 प्रतिषत है। नीचे सारणी विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए कार्यषील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज को सारांषित करती है

सारणी 29: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए कार्यषील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विषिष्टियां	विव 17	विव 18
1	प.एवं.स. व्यय	66ण्40	77ण्72
2	संधारण	119ण्52	139ण्89
3	प्राप्यतायें	2046ण्98	2247ण्13
	घटायें –		
4	उपभोक्ताओं तथा वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप	1067ण्93	1129ण्28
5	**कुल कार्यषील पूंजी**	**1164ण्97**	**1335ण्46**
6	ब्याज दर	11ण्80:	11ण्80:
7	**कार्यषील पूंजी पर ब्याज**	**137ण्47**	**157ण्58**

Â ह्रास

5.28 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ह्रास, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुलग्नक– 1 में निर्धारित दरों पर उक्त विनियमों के विनियम 22 के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (सीरेप) के अनुसार परिकलित किया गया हैं।

5.29 ह्रास का विनिर्धारण, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के औसत प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों पर प्रयोज्य ह्रास दरें प्रयुक्त कर किया गया है।

सारणी 30: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विवरण	विव 17	विव 18
Â ह्रास	772ण्69	877ण्96

साम्या पर प्रतिफल

5.30 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 साम्या पर 16 प्रतिषत की दर से प्रतिफल अनुज्ञात करता है। तथापि, याचिकाकर्ता का भारी संचित धाटा है तद्नुसार, याचिकाकर्ता ने विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए साम्या पर कोई प्रतिफल प्रस्तावित नहीं किया है।

गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय

5.31 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए गैर– टैरिफ आय, विव 2015–16 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार पांच प्रतिषत की वृद्धि दर से प्रक्षेपित की गयी है।

5.32 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए व्हीलिंग प्रभारों से वास्तविक आय विव 2015–16, के व्हीलिंग प्रभारों से अंकेक्षित आय पर परिकलित की गई है। विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए व्हीलिंग प्रभारों से आय के प्रक्षेपणार्थ कोई वृद्धि नहीं मानी गयी है।

5.33 विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए प्राक्कलित क्रास सब्सिडी सरचार्ज आय तथा माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित दरों से खुले माध्यम से क्रय की जाने वाली प्रक्षेपित यूनिटों पर की गयी है।

विलम्ब शुल्क पर वित्त पोषण हेतु ब्याज

5.34 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि विलम्बित भुगतान (डी.पी.एस.) उपभोक्ता की बकाया पर लगाया जाकर उपचय विधि स लेखा बद्ध किया जाता है। याचि की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध डीपीएस को माननीय आयोग ने विगत में गैर टैरिफ आया माना है। किन्तु उपभोक्ताओं से वास्तव में वसूल किये गये डीपीएस की राषि भिन्न रहती है जो कि लेखाबद्ध से कम होती है। इस कारण से याचिकाकर्ता का राजस्व अन्तर भी प्रभावित होता है।

5.35 पुनः निवेदन है कि उपचय विधि से संचित डीपीएस को याचिकाकर्ता की लेनदारिया मानी जानी है। यह उल्लेख करना समयाचीन है कि याचिकाकर्ता पूर्व रूप से ऊर्जा क्रय एवं अन्य प्रकार के व्यय वहन कर चुका होता है। जबकि याचि को केवल दो माह की लेनदारिया ही कार्यषील पूंजी में प्राप्य हेतु अनुमति दी जाती है। इस प्रकार से प्राप्तियों के वित पोषण की लागत, की भी अनुमति दी जानी चाहिये, विषेषतः जबकि डीपीएस को अतिरिक्त आय मान लिया जाता है।

5.36 माननीय विधुत अपीलिय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा एनडीपीएल बनाम डीईआरसी अपील संख्या 142–2009 के फैसले दिनांक 20 जुलाई 2010 जिसे नीचे उदृत किया गया, जिसमें डीपीएस वितीय लागत का उल्लेख है।

श्जीम दवतउंजपअम ूवतापदह बंचपजंस बवउचमदेंजमे जीम कपेजतपइनजपवद बवउचंदल पद कमसंल वित जीम 2 उवदजी बतमकपज चमतपवक ूीपबी पे हपअमद जव जीम बवदेनउमतेण जीम संजम चंलउमदज `नतबींतहम पे वदसल प िजीम कमसंल पे उवतम जींद जीम दवतउंजपअम बतमकपज चमतपवकण थ्वत जीम चमतपवक व िकमसंल इमलवदक दवतउंजपअम चमतपवकए जीम कपेजतपइनजपवद बवउचंदल ीं जव इम बवउचमदेंजमक ूपजी

जीम बवेज वि`नबी `ककपजपवदंस पिदंदबपदहण् प्जपे दवज जीम बेंम वि`जीम ।चचमससंदज जींज जीम संजम चंलउमदज `नतबींतहम `वितसक दवज इम जतमंजमक `` ` दवद.जंतपिि पदबवउमण् जीम ।चचमससंदज पे वदसल चतंलपदह जींज जीम पिदंदबपदह बवेज पे पदअवसअमक कनम जव संजम चंलउमदज `दक ``नबी जीम ।चचमससंदज पे मदजपजसमक जव जीम बवउचमदेंजपवद जव पदबनत `नबी `ककपजपवदंस पिदंदबपदह बवेजण् जीमतमवितमए जीम पिदंदबपदह बवेज वि`वनजेजंदकपदह कनमेए पण्मण् जीम मदजपतम चतपदबपचंस `उवनदजए `वितसक इम `ससवूमक `दक पज `वितसक दवज इम सपउपजमक जव संजम चंलउमदज `नतबींतहम `उवनदज `सवदमण्

5.37 उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में अन्य विनियामक आयोग जैसे कि बिहार विधुत विनियामक आयोग ने भी डीपीएस पर वित्तिय लागत के बतौर, कार्यषील पूंजी पर अनुमोदित ब्याज दर से डीपीएस पर ब्याज बतौर गैर टैरिफ आय में अनुमोदित किया है।

5.38 याचिकाकर्ता ने डीपीएस पर भी कार्यषील पूंजी पर ब्याज समकक्ष दर से वर्ष 2016—17 तथा 2017—18 हेतु निम्न सारणी अनुसार निवेदित किया हैः—

सारणी 31ः डीपीएस पर वित पोषण हेतु ब्याज विव 2016—17 तथा विव 2017—18 (करोड़ रू.)

मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	विव 17	विव 18
डीपीएस	237ण10	248ण95
मूल राशि जिस पर डीपीएस लिया गया (/ 2 प्रतिषत प्रतिमाह की दर से)	987ण90	1ए037ण29
मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज दर	11ण80ः	11ण80ः
मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	**116ण57**	**122ण40**

5.39 निम्न सारणी में अनुमानित गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन से आय, अन्तर सहायिकी एवं अतिरिक्त प्रभार आदि से आगत आय को विव 2016—17 तथा विव 2017—18 के लिए सांराषित किया गया हैः—

सारणी 32ः गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन आदि से आय विव 17 तथा विव 18 (करोड़ रू.)

विशिष्टिया	विव 17	विव 18
गैर टैरिफ आय	433ण67	455ण35
घटायेः मूल डीपीएस पर वित पोषण ब्याज	116ण57	122ण40
निवल गैर टैरिफ आय	317ण10	332ण95
विधुत परिवहन से आय	23ण23	23ण23
अन्तर सहायिकी से आय	49ण59	125ण33
अतिरिक्त प्रभार से आय	68ण85	75ण11
कुल	**458ण77**	**556ण62**

विव 2016—17 तथा विव 2017—18 के लिए समग्र राजस्व आवष्यकता

5.40 पूर्वगामी भागों में माने गये व्यय तत्वों पर आधारित, विव 2016—17 तथा विव 2017—18

के लिए प्राक्कलित सराआ नीचे सारणी में सारांषित है :

सारणी 33: विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए समग्र राजस्व आवष्यकता (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विषिष्टियां	विव 17	विव 18
1	विद्युत क्रय व्यय	10ए651प18	11ए828प34
2	परिचालन एवं संधारण व्यय	1520प21	1658प63
2.1	कर्मचारी व्यय (निवल)	566प19	662प71
2.2	प्रषासकीय एव सामान्य व्यय (निवल)	57प57	67प38
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	173प03	202प52
2.4	सेवान्त लाभ	700प00	700प00
2.5	निवल स्थाई परिसम्पत्तियों का 0.2 प्रतिषत की दर पर बीमा व्यय	23प43	26प02
3	ह्रास के प्रति अग्रिम सहित ह्रास	772प69	877प96
4	ऋण पूंजी पर ब्याज (प्रतिभूति निक्षेप तथा विव 13 तक अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज)	2279प96	2345प88
5	कार्यषील पूंजी पर ब्याज (प्रासमिक)	137प47	157प58
6	पूर्वावधि व्यय तथा अन्य व्यय		
7	भाविग्रिनिलि को संदत्त प्रसारण प्रभार	548प06	602प87
8	उक्षेभाप्रेके शुल्क	1प42	1प56
9	राविप्रनि को संदत्त प्रसारण प्रभार	916प45	1052प61
10	राभाप्रेके शुल्क	7प17	8प25
11	**कुल राजस्व व्यय**	**16ए834प61**	**18ए533प68**
12	साम्या पूंजी पर प्रतिफल		
13	**समग्र राजस्व आवष्यकता**	**16ए834प61**	**18ए533प68**
14	घटायें – गैर–टैरिफ आय	317प10	332प95
15	घटायें – व्हीलिंग प्रभारों से आय	141प67	223प67
16	**फुटकर टैरिफ से समग्र राजस्व आवष्यकता**	**16ए375प84**	**17ए977प06**

अ 6: विद्यमान टैरिफ से राजस्व तथा राजस्व धाटा

विद्यमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से राजस्व

6.1 विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए विद्यमान टैरिफ से प्रत्याषित राजस्व का प्राक्कलन प्रेक्षपित किये गये ऊर्जा विक्रय के आधार एवं विव 2015–16 हेतु माननीय आयोग के टैरिफ आदेष दिनांक 22 सितम्बर 2016 के अनुसार वर्तमान प्रचलित टैरिफ के अनुसार किया गया है।

6.2 नीचे दी गई सारणी विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए श्रेणीवार प्रत्याषित राजस्व को सारांषित करती है :

सारणी 34: विद्यमान टैरिफ पर विद्युत के विक्रय से आय विव 2016–17 तथा 2017–18 (करोड़ रू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2016–17 (राजस्व करोड़ रू.)	विव 2017–18 (राजस्व करोड़ रू.)
घरेलू सेवा	3507प91	4736प09
अघरेलू सेवा	1992प97	2410प38
सार्वजनिक पथ प्रकाष	128प52	148प75
कृषि मी. आपूर्ति	2747प35	3071प41
कृषि फ्लेट दर आपूर्ति	92प83	13प76
लघु औद्योगिक सेवा	221प98	244प55
मध्यम औद्योगिक सेवा	575प86	596प22
वृहद औद्योगिक सेवा	2730प98	2939प36
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	151प66	166प07
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	31प14	34प11
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	207प07	237प69
मिश्रित भार/प्रपंजाआपूर्ति	133	145प26
विद्युतकर्षण	290प90	.
योग	**12812प17**	**14743प64**

राज्य सरकार से सहायिकी

6.3 राज्य सरकार परिचालनीय हानियों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता को विगत हानियों के पुनर्भरण, विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी तथा नकद सहायता सहित सांक्रांन्तिक अवधि सहायता उपलब्ध करवाती है। अब ''उदय योजना'' के तहत राज्य सरकार नकद सहायता उपलब्ध नही करायेगी किन्तु विधुत कर की प्रतिभरण चालू रहेगा। विधुत कर प्रतिभरण सहायकी के निर्धारण हेतु, वर्ष के लिये प्रेक्षपित विक्रय तथा विव 2015–16 के प्रति युनिट विधुत कर प्रतिभरण के आंकडें काम में लिये गये है। नीचे दी गयी सारणी राजस्थान सरकार से वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु प्राप्य सहायिकी को सारांषित करती है :

सारणी 35:विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए **राजस्थान सरकार से सहायिकी समर्थन(करोड़ रू.)**

विषिष्टियां	विव 17 (करोड़ रू.)	विव 18(करोड़ रू.)
विष्व बैंक ऋण पर अन्तरीय ब्याज संसहायिकी	4प00	3प00
विद्युत शुल्क/स्टाम्प शुल्क के प्रति राज्य सरकार से ससंहायिकी	563प97	664प28
प्रषमन प्रभारों के प्रति सहायिकी	15प00	17प00
योग	**582प97**	**684प28**

विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा

6.4 विद्यमान टैरिफ पर विव 2016–17 तथा 2017–18 हेतु नियंत्रणावधि के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए राजस्व धाटा नीचे सारणी में सारांषित किया गया है :

सारणी 36: विव 2016–17 तथा 2017–18 के लिए विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा (करोड़ रू.)

विषिष्टियां	विव 17	विव 18
समग्र राजस्व आवष्यकता (क)	16ए375प84	17ए977प06
विद्यमान टैरिफ पर राजस्व (ख)	12ए812प17	14ए743प64
ट्रडिग गतिविधि से प्राप्त राजस्व (**ग**)	515प84	970प27
सहायिकी से पूर्व राजस्व घाटा (घ त्र क–ख–ग)	**3ए047प83**	**2ए263प15**
राज्य सरकार से सहायिकी समर्थन (**ध**)	582प97	684प28
सहायिकी के बाद राजस्व घाटा (ड. त्र घ –ध)	**2ए464प86**	**1ए578प87**
जोड़ें – पिछले वर्ष के लिए राजस्व घाटा (च)	.	2ए617प70
वित्तीय वर्ष के प्रथम आघे के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर के अनुसार राजस्व घाटे पर रखाव लागत (छ)	152प84	422प55
पिछले वर्ष के अन्तर को समायोजित करने के बाद संचित राजस्व घाटा (ज त्र ड+च+छ)	**2ए617प70**	**4ए619प12**

6.5 विव 2016–17 तथा 2017–18 के राजस्व अन्तर पर रखाव लागत की गणना हेतु ब्याज दर दीर्घ कालिक ऋणों पर देय औसत ब्याज दर के समकक्ष मानी है।

6.6 जैसा कि ऊपर सारणी से देखा जा सकता है याचिकाकर्ता विव 2016–17 तथा 2017–18 में विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटे में रहेगा।

अ 7: राजस्व घाटे का उपचार

7.1 जैसा कि ऊपर के भाग में वर्णित है, याचिकाकर्ता का विद्यमान टैरिफ पर विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए राजस्व धाटा क्रमषः 2464.86 करोड़ रू. तथा 1578.87 करोड़ रू. प्राक्कलित है। इस प्रकार विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए संचिव राजस्व अन्तर 2617.70 करोड़ रू. तथा 4619.12 करोड़ रू. (विव 2016–17 तथा विव 2017–18 के लिए राजस्वान्तर पर रखाव लागत सहित) परिकलित है।

7.2 याचिकाकर्ता उल्लेख करना चाहेगी कि संचित राजस्व अन्तर को कम करने तथा समग्र दक्षता में सुधार के लिए आवष्यक कदम उठाये जा रहे हैं, उनमें से कुछ कदम नीचे सूचीबद्ध हैं :–

(क) <u>हानि में कमी</u>

परिकल्पित परिचालन दक्षता को प्राप्त करने हेतु समग्र सुधार कार्यक्रम हेतु विभिन्न सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इनके तहत उच्च ए.टी.एण्ड सी. छीजत वाले क्षेत्रों में सीमित ऊर्जा वितरण, प्रबन्धन की गुणवता एवं निगरानी, शतप्रतिषत फीडर्स व ट्रांसफार्मस की मीटरिंग, उच्च राजस्व देने वाले उपभोक्ताओं के लिये ए.एम.आर मीटरिंग, फीडर स्तर पर ऊर्जा लेखांकन एवं अंक्षेण आदि। फीडर्स के उत्पत्ति स्थान पर प्रत्येक फीडर पर इलेक्ट्रोनिक तीन फेस मीटर्स की स्थापना जिससे कि फीडर अनुसार आपूर्तित ऊर्जा व विक्रित ऊर्जा का निर्धारण कर वास्तविक छीजत लेखांकित की जा सके तथा शतप्रतिषत फीडर मीटरिंग से अधिक छीजत वाले फीडर्स को चिन्हित कर उन पर छीजत कम करने के विषेष उपाय जैसे आपूर्ति कटौती व चोरी रोकने के सघन उपाय आदि किय जा सकें।

छीजत में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जोनल से लेकर उपखण्ड स्तर तक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया गया है। विधुत चोरी दुरूपयोग व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु सघन सर्तकता अभियान चलाये जा रहे है एवं संलिप्त व्यक्तियों के नाम उन्हे शर्मसार करने हेतु सार्वजनिक किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त माननीय आयोग द्वारा निर्धारित छीजत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न निवेष योजनाओं के माध्यम से पूंजीगत कार्य किये जा रहे है।

याचिका के घाटे में कमी की प्रतिबद्धता हेतु विभिन्न सूचिबद्ध प्रत्येक गतिविधि के लिये समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये गये है। भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं याचि मध्य हुये त्रीपक्षीय समझौते ''उदय'' के तहत भी विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां समयबद्ध लक्ष्य के साथ संचालित की जा रही है।

(ख) फीडर्स का विभक्तिकरणः–

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रेणी हेतु ब्लॉक में ऊर्जा वितरण करने हेतु यह आवयष्क है कि कृषि व अकृषि फीडर्स का पृथकीकरण किया जावें। वर्तमान में वास्तव पृथककरण नही होने से ग्रामीण फीडर्स पर ब्लॉक–घण्टों में तीन फेस और शेष घण्टों में एक फेस सप्लाई दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि कृषि व अकृषि उपभोक्ताओं हेतु प्थक–प्थक फीडर्स होगें तो कृषि फीडर्स पर ब्लॉक–समय तथा अकृषि फीडर्स पर पूरे दिन तीन फेस विधुत वितरित की जा सकेगी। अतः याचिकाकर्ता फीडर्स के विभक्तिकरण हेतु सतत प्रयासरत है। जिससे की छीजत में कमी होगी।

(ग) बिलिंग दक्षता :–

बिलिंग दक्षता में सुधार हेतु याचि ने शतप्रतिषत उपभोक्ता मीटरिंग हेतु विभिन्न गतिविधियां हाथ में ले रखी है। फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी उपभोक्ता मीटरित कर दिये गये है। विष्वस्त ऊर्जा अंकन एवं बिलिंग हेतु सभी फ्लेट रेट उपभोक्ताओं के भी मीटर लगाने का कार्यक्रम जारी है। यह भी सुनिष्चित किया जा रहा है कि सभी मीटर्स का सही पठन सही समय पर हो तथा दोषपूर्ण मीटर्स भी ज्ञात होने के दो माह की अवधि में बदल दिये जावें।

ए.एम.आर मीटरिंग से मानवीय दखल में कमी होगी और बिलिंग व राजस्व निर्धारण में अतिरिक्त दक्षता आयेगी। अतः प्रथमतः उच्च राजस्व वाले उपभोक्ताओं पर प्रथम चरण में ए.एम.आर मीटर्स स्थापना का कार्य किया जा रहा है। ''उदय योजना'' के अर्न्तगत भी याचिकाकर्ता का दायित्व है कि 500 युनिट/प्रतिमाह उपभोग तक वाले उपभोक्ताओं के जून 2018 तक तथा 200 यूनिट/प्रतिमाह उपभोग वाले उपभोक्ताओं के जून 2020 तक ए.एम.आर मीटरिंग की जानी है।

(ध) विधुत तंत्र का सुदृढिकरण :–

तकनीकी छीजत को कम करने, शट–डाउन व ट्रिपिंग्स की संख्या कम करने, आपूर्ति की गुणवता बढाने हेतु याचि द्वारा उपचौकी एवं फीडर सुधार कार्यक्रम चला रहा है। याचि द्वारा लोड को संतुलित व व्यवस्थित करने हेतु विभिन्न 33 केवी उपचौकियों का नया निर्माण व 33 केवी तंत्र पर लोड संतुलन किया जा रहा है।

फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत, लाईनो का ढीलापन सही करना, लम्बे स्पानों की समाप्ती तथा ट्रांसफार्मस की री–कण्डिषनिंग आदि का कार्य चल रहा है। सब–स्टेषन सुधार कार्यक्रम के तहत फीडर्स पर सही मीटरिंग, सर्किट ब्रेकर्स व रोस्टर स्वीचेज के सुधार व स्थापना के कार्य किये जा रहे है। याचि का लक्ष्य है कि ब्रेक–डाउन पर सुधार करने की बजाय सुधारात्मक सुधार किये जावें। फीडर्स की निगरानी हेतु फीडर प्रबन्धक नियुक्त किये गये है। फीडर्स के ऊपर पूर्ण निगरानी हेतु गतिविधियों का लॉगबुक में अंकन कर नियत सुधार कार्यक्रम के मुताबिक चलना निर्धारित किया जा रहा है।

इस अतिरिक्त वितरण तंत्र की मजबूती हेतु अन्य निम्नलिखित उपाय भी किये जा रहे हैः–

- तकनिकी विषिष्टताओं की समय–समय पर समीक्षा, वारन्टी की शर्ते और आपूर्तिकर्ताओं की योग्यता,
- उप–चौकियो पर नियोजित तकनिकी श्रमिको के लिये निर्धारित मानदण्डों को सूचित करना।
- वारन्टी शर्तो के अनुसार दोषपूर्ण आपूर्ति के प्रति तुरन्त प्रतिपूर्ती।
- वारन्टी रहित उपकरणों का समय सीमा में सुधार।

निगम मुख्यालय स्तर पर फीडर सुधार व उप–चौकी सुधार कार्यो की निगरानी की जाती है जैसे कि प्रमि माह प्रति फीडर वार वितरण व्यवधानों की संख्या आदि।

(ड़) लागत का अधिकतम उपयोग

दक्ष ऊर्जा क्रय प्रबन्धन, लक्षित पूर्वानुमान, भार–वक्र का सुदृढिकरण, सामग्री का बेहतर प्रबन्धन आदि हेतु सूचना प्रौधोगिकी का सहारा लेकर बेहतर प्रणाली के साथ क्रियान्वयन की योजना है। विषेष रूप से द्वी पक्षीय समझौते या ऊर्जा एक्सचेज से सस्ती ऊर्जा क्रय करने का याचि विधुत क्रय प्रबन्ध हेतु विषेष प्रयास कर रहा है अन्य प्रयासों जैसे कि मंहगे विधुत क्रय–अनुबन्धों को

सर्मपण करने तथा जब परिवर्तनीय दर द्विपक्षीय या एक्सचेन्ज से ज्यादा हो तो, इनसे कम विधुत क्रय करने पर विषेष ध्यान दिया जा रहा है।

याचिका द्वारा भावी भार की पूर्व सटीक कल्पना करने हेतु भी उपाय किये है जिससे कि ऊर्जा क्रय लागत पर अधिक / कम ऊर्जा आहरण से होने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। इन उपायों से लागत का अधिकतम उपयोग व राजस्व घाटा कम करने में सहायता मिलेगी।

(च) सतर्कता अभियानः–

वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिये याचिकाकर्ता द्वारा विषेष आक्रामक सर्तकता तथा विधुत चोरी विरोधी सघन अभियान चलाये जा रहे है। फलस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में सतर्कता से अर्जित राजस्व में वृद्धि हुई है। विगत वर्षो में विधुत चोरी के प्रकरण जो कि एक अपराध है, कम्पाउण्डिग किये गये है। तथा अभियोजन कम हुए है। सतर्कता दलों के साथ साथ याचिकाकर्ता के लिये भी यह चुनौतीपूर्ण कार्य है जिससे निपटा जा रहा है और अधिकाधिक प्राथमिक सूचनायें पुलिस में दर्ज करायी जा रही है।

(छ) निजी क्षेत्र की भागीदारीः–

विधुत क्षेत्र की केन्द्रीय वित्तिय पुर्नगठन योजना 2012 के प्रावधानानुसार वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना अनिवार्य शर्तो में एक थी। ''उदय योजना'' के द्वारा निर्देषित दक्षता में समयबद्ध रूप से सुधार करना एवं वांछित परिणाम देने के विषिष्ट लक्ष्य हेतु भी इस मार्ग को अनिवार्य रूप से अपनाने की जरूरत है। राजस्थान में भी प्रथमतः चरणबद्ध रूप में 7–8 कस्बों/क्षेत्रों में आगत आधारित वितरण फ्रेन्चाइजी देने की योजना है।

(ज) मांग पक्ष प्रबन्धन

मांग अनुरूप विद्युत क्रय की लागत को कम करने के लिए मांग पक्ष प्रबन्धन एक बेहतर लागत प्रभावी मार्ग है। उद्दीपन बल्बों को एलईडी से बदला जा रहा है। स्थानीय विकास निकायों की सहायता से विद्यमान पथ रोशनियों को भी ऊर्जा दक्ष पथ रोशनियों से बदला जा रहा है।

(झ) ग्राहक सेवा ध्यान केन्द्रिकरण :–

केन्द्र सरकार के साथ हुये समझौते अनुसार सभी उपभोक्ताओं (कृषि को छोडकर) को 24ग7 घण्टे विष्वसनीय एवं गुणवतापूर्ण विधुत आपूर्ति सुनिष्चित करने हेतु याचि प्रतिबद्ध है। इस हेतु याचि द्वारा प्रत्येक 33 केवी उपचौकी से पृथक तीन फेस फीडर 3000 से ऊपर की आबादी वाले कस्बों हेतु डालने की योजना पर कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त भी विष्वसनीय एवं गुणवतापूर्ण आपूर्ति सुनिष्चित करने की अनेक योजनायें चलाई जा रही है। याचिकाकर्ता से ग्राहकों के सीधे संवाद एवं मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होने बाबत सूचना प्रौधोगिकी अपनाई जा रही है। नये विधुत सम्बन्ध आवेदन से लेकर बिल भुगतान हेतु सुविधाये ऑनलाईन उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने केन्द्रिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र खोले है। जिनपर करन्ट व अन्य तकनीकी, दोषी कर्मचारी–अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार विधुत चोरी तथा सुरक्षा आदि सम्बन्धी षिकायतों की रिपोर्टिग व निपटान की सूचनायें टेलीफान के माध्यम से दी जा रही हैं। सेवा केन्द्रों में सेवा के स्तर में वृद्धि के मानक बनाये गये है। और उपभाक्ताओं को ''एस.एम.एस'' के माध्यम से जानकारी भी दी जाती है। उपभोक्ताओं तक

अधिक पहुॅच के लिये सामाजिक मीडिया के संसाधन काम में लिये जा रहे है। बिल भुगतान हेतु नेट बैकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ई–भुगतान की सुविधाये भी प्रदान की गयी है।

(ट) सुरक्षा सम्बन्धी उपाय :–

डिस्कॉम द्वारा जन–सामान्य तथा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में अभिज्ञात कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में, डिस्कॉम द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है :

पप फीडर सुधार कार्यक्रम (फीसुका) –

इस कार्यक्रम की प्रमुख विषिष्टितायें निम्नानुसार हैं:–

- ढीले तारों को कसना
- झुके हुये खम्भों को सीधा करना
- पर्याप्त सतही क्लीयरेन्स प्रदान करने हेतु लम्बे फैलाव में, खम्भों की सन्निविष्टि
- एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
- तीन फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
- अप्रचलित एबी केबिल का प्रतिस्थापन
- एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षमता संवर्धन
- एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की अर्थिंग
- 33/11 केवी सब–स्टेषनों के समीपस्थ गांवों में तीन फेज तन्त्र की स्थापना
- ढ़ीले एबी केबिल को कसना
- एम–सील लगाना/बिना सील वाले केबिल बिन्दुओं की मरम्मत
- इन्ष्यूलेटेड कनेक्टरों की स्थापना
- दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन
- ट्रान्सफार्मर पठन प्लेटफार्म आदि

पपप सब–स्टेषन सुधार कार्यक्रम (सस्टेसुका)

इस कार्यक्रम की प्रमुख विषिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. अकार्यषील रोस्टर स्विचों का प्रतिस्थापन
2. नये रोस्टर स्विचों की अधिष्ठापना
3. अकार्यषील सर्किट ब्रेकरों की मरम्मत/का प्रतिस्थापन
4. नये सर्किट ब्रेकरों की अधिष्ठापना
5. अकार्यषील फीडर मीटरों की प्रतिस्थापना
6. नये फीडर मीटरों की अधिष्ठापना
7. 33 केवी सब–स्टेषन/ पावर ट्रान्सफार्मरों आदि पर अर्थिंग का सुधार

पपपप प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामाजिक चेतना

आमजन को सुरक्षित तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के अपने प्रयासों में डिस्कॉम, अपने कर्मचारियों को सधन प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है। जन–सामान्य तक व्यापक पहुंच के उद्देश्य से सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से यह उपभोक्ता चेतना का प्रचार–प्रसार करती आ रही है।

7.3 इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि उपरोक्त समुचित उपाय करने के बाद भी भविष्य में घाटे और राजस्व के अन्तर की पूर्ति बिना टैरिफ संषोधन के कठिन है किन्तु वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में टैरिफ में कोई बढोतरी प्रस्तावित नही की गयी है।

7.4 हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा संसाधनों के बेहतर उपयोग और बेहतर राजस्व प्रबन्धन हेतु कुछ टैरिफ युक्तिकरण के उपायों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

टैरिफ युक्तिकरण

7.5 याचिकाकर्ता स्त्रोतो का बेहतर उपयोग, कम दर एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन हेतु वर्ष 2016–17 के लिए निम्नलिखित टैरिफ युक्तिकरण प्रस्तुत करती है।

लोड फैक्टर छूट

7.6 किसी भी उपभोक्ता का लोड फैक्टर उसके द्वारा विधुत की खपत के तरीके और अनुबन्धित मांग के उपयोग को इंगित करता है। विधुत खरीद का पूर्वानुमान और योजना बनाने, तंत्र के बुनियादी ढाचें की सुरक्षा व संर्वधन विधुत मांग हेतु जुड हुये उपभोक्ता के सम्बध भार व उपयोग के तरीको के आधार पर सुनिष्चित की जाती है। विधुत खपत के तरीको में बार–बार एवं अधिकाधिक बदलाव याचि के ऊर्जा तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। साथ ही इससे विधुत क्रय की पूर्वयोजना–आवष्यकता प्रभावित होकर विचलन से होने वाली विधुत क्रय लागत को बढाती है। शास्ती आरोपित होती है तथा वितरण तंत्र अस्वस्थ होता है। अतः तंत्र के स्थायित्व, खरीद की उत्तम व सटीक अनुमान योजना हेतु लोड में कम से कम विचलन होना चाहिए।

7.7 अतः लोड फैक्टर में कम से कम विचलन हेतु ''वृहद औधोगिक उपभोक्ता श्रेणी'' के उपभोक्ताओं को याचिकाकर्ता द्वारा लोड फैक्टर छुट दिया जाना प्रस्तावित है। अतः इस श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जो बिलिंग अवधि में अपना लोड फैक्टर 50 प्रतिषत या उससे ऊपर रखेगें को ऊर्जा प्रभार में 0.15 रूप्ये प्रति यूनिट की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। यह छूट लोड फैक्टर 50 प्रतिषत से ऊपर होने पर दी जायेगी।

पावर फैक्टर छूट

7.8 उल्लेखिनीय है कि अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र के लिये निम्न पावर फैक्टर नुकसान दायक है। सम्बध भार की प्रकृति से पावर फैक्टर नियंत्रणीय है। निम्न पावर फैक्टर तंत्र पर उपपादन लोड होने की वजत से होता है। इसकी वजह से तंत्र की वास्तविक कार्य क्षमता कम होकर तंत्र ओवर लोड हो जाता है। वोल्टेज कम हो जाते है और छीजत बढ जाती है।

7.9 सुदृढ आर्थिक परिचालन हेतु कम पावर फैक्टर के कारण विधुत तंत्र के बुनियादी ढाचे की कार्य क्षमता क्षीण होने पर उसके पुर्नसंचालन / संवर्धन हेतु आवष्यक उपायों की भी आवष्यकता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पावर फैक्टर एक उचित मानक पर विष्वसनीय और किफायती संचालन हेतु बनाये रखा जाएं।

7.10 सुदृढ पावर फैक्टर के मुकाबले कम पावर फैक्टर से होने वाले कुछ क्षतिगत प्रभाव निम्न हैः–

- कम पावर फैक्टर पर तंत्र अधिक करन्ट लेता है,
- कम पावर फैक्टर अधिक अन्तः करन्ट मांग करता है जिससे अधिक उष्मा उत्पन्न होती है और संयत्रों को खराब करती है तथा उनकी आयु क्षीण करती है
- प्रतिक्रियाषील भार वृद्धि से निर्गमित वोल्टेज भी कम हो जाते है जो संवेदनषील उपकरणों को खराब कर देते है।

7.11 क्षीण पावर फैक्टर के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुये तथा समृद्ध पावर फैक्टर सुनिष्चित करने हेतु शास्ती/छूट के प्रावधान वर्तमान में भी प्रभावी है। तथापि यह सुनिष्चित करना कि वर्तमान संरचना में छूट से उपार्जित लाभ नेटवर्क को मिले इसलिये वर्तमान संरचना में संषोधन प्रस्तावित है। पावर फैक्टर छूट से उपार्जित लाभ प्रति प्रतिषत सुधार के अनुरूप मिले। अतः निम्न श्रेणीबद्ध प्रकार से पावर फैक्टर छूट करने क प्रस्ताव है।

7.12 यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95:) से अधिक तथा 0.97 (97:) तक है तो प्रत्येक 0.01 (1:) सुधार हेतु 0.5 प्रतिषत ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाना प्रस्तावित है। औसत पावर फैक्टर 0.97 (97:) से अधिक है तो प्रत्येक 0.01 (1:) सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 1 प्रतिषत छूट दी जाना प्रस्तावित है।

7.13 जहां उपभोक्ता परिसर में मीटर्स केन्द्रिय विधुत प्राधिकरण (परिचालन एवं मीटर्स) विनियम–2006 के अनुरूप स्थापित है उन प्रकरणों में औसत पावर फैक्टर छूट, पावर फैक्टर 0.95 (95:) से अधिक किन्तु 0.97 (97:) तक, तो प्रत्येक 0.001 (0.1:) सुधार पर 0.05 प्रतिषत ऊर्जा प्रभार में छूट दी जाना प्रस्तावित है। यदि औसत पावर फैक्टर 0.970 (97:) से अधिक है तो प्रत्येक 0.001 (0.1:) सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार में 0.1 प्रतिषत छूट दी जाना प्रस्तावित है।

7.14 जिन प्रकरणों में औसत पावर फैक्टर 0.90 (90:) से कम रहता हैं उन पर प्रत्येक 0.01 (1:) गिरावट हेतु 1 प्रतिषत ऊर्जा प्रभार के बराबर शास्ती आरोपित करने का प्रस्ताव है। जहां उपभोक्ता परिसर में मीटर्स केन्द्रिय विधुत प्राधिकरण (परिचालन एवं मीटर्स) विनियम–2006 के अनुरूप स्थापित है उन प्रकरणों में औसत पावर फैक्टर 0.900 (90:) से कम रहता हैं तो प्रत्येक 0.001 (0.1:) गिरावट पर 0.1 प्रतिषत ऊर्जा प्रभार के बराबर शास्ती वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

7.15 यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70 प्रतिषत) से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता परिसर का विधुत सम्बध विच्छेद कर दिया जायेगा तथा जब तक पावर फैक्टर संर्वधन याचिकाकर्ता की सन्तुष्टि तक नही हो, पुर्नस्थापित नही किया जायेगा।

वोल्टेज छूट

7.16 वोल्टेज छूट एच.टी. उपभोक्ता को उसके वोल्टेज सापेक्षिक वोल्टेज पर जुडे होने के आधार पर दी जाती है। उच्च वोल्टेज पर जाने के लिये एच.टी. उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप यह छूट है। यद्यपि श्रेणीवार ऊर्जा प्रभार सभी एच.टी. उपभोक्ताओं के लिये श्रेणी अनुसार समान है, किन्तु उच्च दाब पर विधुत सम्बन्ध लेने पर उस दाब क्षमतानुसार वोल्टेज छूट दी जाती है।

7.17 उच्च दाब वोल्टेज पर तंत्र व वितरण हानियां कम होती है। अतः उसी लाभ को उपभोक्ताओं के साथ साझा किया जाता है। हालांकि उच्च दाब से व केवल ऊर्जा बचत के लाभ ले रहे है, किन्तु स्थाई प्रभार पर कोई प्रभाव नही है। तथापि उच्च दाब वाले वितरण तंत्र का रख रखाव

व्यय निम्न दाब तंत्र के सापेक्ष में अधिक व्ययपूर्ण है।

7.18 तदन्तर निवेदन है कि याचिकाकर्ता के स्थाई खर्चो के समकक्ष स्थाई प्रभारों की वसूली अपर्याप्त होने से वोल्टेज रिबेट द्वारा ऊर्जा प्रभार व स्थाई प्रभार में छूट दिया जाना अनुकूल नही है।

7.19 इसी प्रकार से एक एल.टी. उपभोक्ता, एच.टी. पर आपूर्ति प्राप्त करता है तो उसे विपत्रित राषि (ऊर्जा प्रभार व स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिषत की छूट दी जाती है। ऐसे प्रकरण में भी केवल ऊर्जा प्रभार पर ही छूट दिया जाना न्यायोचित है।

7.20 अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर याचिकाकर्ता माननीय आयोग से वोल्टेज छूट प्राप्त करने की प्रयोज्यता को पुर्न परिभाषित करने का निवेदन करता है कि वोल्टेज रिबेट केवल ऊर्जा प्रभार पर ही दिया जाना चाहिये स्थाई प्रभारों पर नही। यह विधुत की उचित आर्थिक मूल्य निर्धारण एवं उच्च दाब पर विधुत आपूर्ति के लाभो को इंगित करेगा।

घरेलू सेवा (अनुसूची – डी.एस/एल.टी. – 1)

7.21 एक नये उपभोक्ता के प्रकरण में स्थाई प्रभार, प्रथम छः माह के लिये सबसे कम स्लेब के अनुसार लिया जाता है। उसके बाद विगत छः माह की औसत खपत के आधार पर औसत प्रभार लिया जाता है। प्रकरण में स्पष्टता प्रदान करने हेतु उल्लेखित टिप्पणी में निम्न प्रकार संषोधन प्रस्तावित है ''स्थाई प्रभार पिछले वित्तिय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लगाया जाएगा। नये उपभोक्ता के मामले में प्रथम छः माह के लिए स्थाई प्रभार सामान्य घरेलू श्रेणी की सबसे कम स्लेब दर पर लगाया जाएगा तथा इसक पश्चात छः माह के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिया जाएगा।''

7.22 उपरोक्त उल्लेखित परिवर्तन से स्पष्ट हो जाएगो कि प्रथम छः माह के लिये स्थाई शुल्क राषि, सामान्य घरेलू श्रेणी –1 (छोटे घरेलू उपभोक्ता श्रेणी नही) के अनुरूप ली जायेगी। यह उल्लेख है कि एक नए उपभोक्ता का केवल सामान्य घरेलू कनेक्षन दिया जाता है। छोटे उपभोक्ता को निर्धारित छूट देने से पूर्व यह सुनिष्चित किया जाता है कि उसकी विधुत खपत किसी भी माह में 50 युनिट से अधिक नही हुई हों।

शीघ्र भुगतान छूट

7.23 ऐसे उपभोक्ता जो कि अपने बिल का भुगतान नियत दिवस से सात कार्य दिन पूर्व ही कर देते है को ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार पर 0.15 प्रतिषत की छूट अगले बिल मे समायोजित करने के प्रावधान लागू है। याचिकाकर्ता शीघ्र भुगतान को प्रौत्साहन करने हेतु इस बाबत और छूट देना प्रस्तावित करता है जिससे नकदी प्रवाह बढने में सहायता मिलेगी।

7.24 तदनुसार याचिकाकर्ता द्वारा बिल भुगतान की नियत तिथि से 10 दिन पहले भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार व स्थाई प्रभार पर 0.35 प्रतिषत छूट उसके अगले बिल में समायोजित कर देने का प्रस्ताव है।

अस्थाई आपूर्ति के लिए टैरिफ

7.25 वर्तमान में अस्थायी टैरिफ के मामले में उस श्रेणी की स्थाई टैरिफ प्लस 50 प्रतिशत ली जाती है। इसे दो माह के लिए स्थायी टैरिफ प्लस 10 प्रतिशत के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परिवर्तन उपभोक्ताओं के समूह, ट्रस्ट और समाज

के कार्यक्रम के लिए लागू होगा और एक उपभोक्ता ओर निर्माण कार्य के लिए लागू नहीं होगा। प्रस्तावित परिवर्तन केवल मेलों, प्रदर्शनियों और सजवटी प्रयोजनों के लिए लागू होगा । दो माह के पश्चात् मौजूदा प्रावधान (स्थायी टैरिफ प्लस 50 प्रतिशत) लागू होगा ।

एच टी उपभोक्ताओ के लिए संविदा मांग से अधिक मांग की धारा

7.26 वर्तमान में एक उपभोक्ता अपनी संविदा मांग की तुलना से अधिक मांग करने के लिए अनुमत नहीं है। यदि वह किसी माह में संविदा मांग में 105 प्रतिशत से अधिक मांग करता है तो विच्छेदित किये जाने के अतिरिक्त उसे स्थायी तथा ऊर्जा प्रभावों का उसी प्रतिशत में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता की मांग वास्तव में अधिक की गयी है।

7.27 यह प्रस्ताव है कि इस तरह के मामलों में यह सीमा राञि घंटो (22:00–6:00 घंटे) के लिये डिस्कॉम से ऊर्जा लेने की स्थिति में 120 प्रतिशत तक वृद्धि की जाये। ओपन एक्सस से ऊर्जा खरीद के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। दिन के समय में (06:00–22:00 घंटे) मौजूदा धारा को रखा जाये।

7.28 अतः माननीय आयोग से उपरोक्त वर्णित टैरिफ वृद्धि एवं टैरिफ युक्तिकरण के उपायों का अनुमोदन प्रार्थनीय है।

अ 8: दिनांक 22 सितम्बर 2016 के टैरिफ आदेष में माननीय आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना

8.1 नीचे दी गयी सारणी, माननीय आयोग द्वारा पिछली वाराआ तथा टैरिफ आदेश में दिये गये निर्देशों की मुद्देवार अनुपालना को सारांशित करती है :

सारणी 37: निर्देषों की अनुपालना

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	अनुपालना रिपोर्ट
1.	**याचिका को समुचित दायर करना** भविष्य में डिस्कॉम द्वारा याचिका दायर करते समय सभी आवष्यक जानकारी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म में उपलब्ध कराई जाये ताकि इस संबंध में किसी भी षिकायत की जगह न रहे और आयोग याचिका का शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम हो।	याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी देने के वास्तविक प्रयास किये है। हालांकि कुछ स्थानों पर याचिकाकर्ता की कोषिषों के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इस तरह के कॉलम खाली छोड दिये गये है और उचित कारण का उल्लेख किया गया है।
2.	**शहरी फ्लेट से मीटर उपभोक्ता में रूपांतरण :** अगली याचिका दायर करने से पूर्व कृषि फ्लेट दर उपभोक्ता को मीटर उपभोक्ता में परिवर्तन की जानकारी उपलब्ध कराई जाये अन्यथा इस तरह के उपभोक्ताओं का संपूर्ण उपभोग एआरआर में दंड स्वरूप अनुमत नहीं किया जायेगा।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि सभी शहरी फ्लेट दर कृषि उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगा दिये गये है।
3.	**हानि में कमी :** उदय योजना में डिस्कॉम ने 15 प्रतिषत हानि के स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। डिस्कॉम आयोग को प्रस्तुत कस्बों/उप–संभाग के आंकडों, जहां भी हानि 15 प्रतिषत से ज्यादा है देखे और हानि को 15 प्रतिषत तक घटाने के प्रभावी कदम उठाये। इस संबंध में की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट डिस्कॉम आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि हानि के स्तर के निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिये शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र में हानि में कमी कार्यक्रम मौजूदा बुनियादी ढांचे और घरेलू और अन्य कनेक्षन के संबंध में तकनीकी हस्तक्षेप से चालू किया है। याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वर्ष 2016–17 के लिए कुल वितरण व वाज्यिक हानियों को कम करने के लिए तिमाही लक्ष्य के साथ एक योजना तैयार की गई है। वितरण निगमों के अध्यक्ष ने क्षेत्र के अधिकारियों को इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निर्देष दिये है ताकि हानि स्तर को धीरे धीरे उदय योजना के

		अनुरूप कम किया जा सके। इस संबंध में आदेषों की प्रति **अनुलग्नक 1** में संलंग्नित है।
4.	**ऊर्जा लेखांकन और अंकेक्षण :** राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन दायित्व अधिनियम, 2016 के अनुसार ऊर्जा लेखांकन और अंकेक्षण और समयबद्ध सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग का रोड मेप छः माह में तैयार किया जायेगा और उसका आयोग से अनुमोदन मांगा जाएगा। उक्त अधिनियम के लागू करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उपभोक्ता अनुक्रमण पूरा किया जायेगा।	11केवी फीडर पर ऊर्जा लेखांकन नेटवर्क अनुक्रमण माड्यूल (एनआईएम) शूरू किया गया है। जयपुर डिस्काम द्वारा 189 उपखण्डो के ऊर्जा अकेंक्षण के लिए मै. पी. डब्लु.सी. को अपने आदेष क्रमांक 1540 दिनांक 04.11.2016 के द्वारा कार्य दिया गया है जो कि प्रगति पर है। ग्रामीण क्षत्रों के कृषि फलेट रेट उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी उपभोक्तों को मीटरत कर दिया गया है। आरएसईडीएमआर अधिनियम,2016 के लक्ष्यों को सुनिषिचित करने हेतु फील्ड में राजस्व प्रबन्धन के लिए वितरण निगमों के अध्यक्ष ने अपने आदेष संख्या 16/08 दिनांक 27.08.2016 के द्वारा एक स्थाई आदेष जारी किया है। इस संबंध में आदेषों की प्रति **अनुलग्नक 2** में संलंग्नित है।
5.	**वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति की लागतः** उदय योजना के समझौता ज्ञापन के अनुसार भविष्य में डिस्कॉम फीडर पैमाइष, डीटी पैमाइष और फीडर के पृथक्करण और ऊर्जा अंकेक्षण के कार्य से वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति की लागत निकालने में सक्षम हो जायेगा। इस मामले में किसी भी विषेषज्ञ की सहायता की जरूरत है तो वे उन्हें अनुबंधित करे और अगली दर याचिका दायर करने तक वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति की लागत निर्धारित करे।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि 11केवी फीडर मीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि फीडर के पृथक्कीकरण का कार्य प्रगति पर है । वितरण ट्रांसफारमर की मीटरिग भी अभी पूर्ण नही हुई है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर वोल्टेज अनुसार हानि और आपूर्ति की लागत के लिये आवष्यक बुनियादी मानक उपलब्ध हो पायेगे । इसके पष्चात् वाल्टेज वाइज वितरण हानियां की गणना की जा सकेगी।
6.	**स्थाई सम्पदा रजिस्ट्रर तैयार करना** : आयोग के अनुसार डिस्कॉम को पुराने डेटा का पता लगाना मुष्किल है पर असंभव नहीं। इसलिए डिस्कॉम स्थाई सम्पदा रजिस्ट्रर उपलब्ध डेटा से तैयार कर सकता है भविष्य में याचिकाकर्ता सम्पदा रजिस्ट्रर तैयार रख सकता है ताकि पूर्व अवधि की कठिनाई का दुबारा सामना नहीं करना पडे।	स्थाई सम्पदा रजिस्टर तैयार करने का कार्य मै. अंकित माहेष्वरी और एसोसियेट्स को दिया गया हैं । जिसने कोटा वृत के लिए ड्राफट सम्पदा रजिस्टर प्रस्तुत कर दिया है। जिसका सत्यापन किया जा रहा है। डिस्कॉम सूचना तंत्र को समाहित करके स्थाई सम्पदा के बेहतर प्रबन्धन के लिए प्रयास कर रहा है।

	डिस्कॉम की सभी सम्पदा का लेखांकन सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि यह सार्वजनिक संपति है जिसे संरक्षित रखना चाहिए और डिस्कॉम के भविष्य में काम आयेगी। हाल ही में अधिनियम ''राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन दायित्व अधिनियम 2016'' की धारा 7(2) के अनुसार अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार दो साल के भीतर वितरण लाइसेंसधारी भौतिक सत्यापन और स्थाई सम्पदा रजिस्ट्रर पूर्ण करें।	
7.	**उपभोक्ता षिक्षा :** डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बचत पंप, पंखे और एयर कंडीषनर की उपलब्धता की जानकारी देने की व्यवस्था करे ताकि उपभोक्ता इन्हें ऊर्जा खर्च में बचत के रूप में अपना सके। डिस्कॉम भी अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये इस तरह की योजनाओं का विस्तार करने का विचार कर सकती है।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि वह उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उपकरण और विद्युत ऊर्जा को विवेकपूर्ण तरीके से काम में लेने के लिये लगातार षिक्षित करता है। उपखण्डों मे आयोजित चौपालों में उपभोक्ताओ को ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के द्वारा बिजली बचाने के बारे में बताया जा रहा है। उपभोक्ताओं को दूरदर्षन, एस.एम.एस. तथा समाचार पत्रों में प्रकाषन के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कई वृत में स्कूल में अभियान चला कर बच्चों और जुडे स्टाफ को ऊर्जा बचत करने और अपने परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने को प्रेरित करने की शपथ दिलाई गईं। सरकारी कार्यलयों में भी इस तरह के अभियान चलाये गये। जिला प्रषासन की मीटिंग में जहां जिला परिषद, नगर वार्ड आदि के सदस्य मौजूद होते है, डिस्कॉम अधिकारियों ने ऊर्जा संरक्षण और स्टर लेबल उपकरण खरीदने के फायदे बताये।
8	उदय योजना के तहत प्रस्तावित डी. एस.एम उपाय ऊर्जा कुषल पंप, पाईप और स्प्रिंकलर/डिप सिंचाई के फायदे के बारे में कृषि उपभोक्ताओं को षिक्षित किया जाये। यह राजस्थान के लिये अधिक महत्वपूर्ण हैं जहां पानी की कमी है। कृषि क्षेत्र में डीएसएम की शुरूआत से बचत अधिक है और यह	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि डीएसएम कार्यक्रम के तहत चौमू (जयपुर) में एक पायलट परियोजना चालू कर कृषि क्षेत्र में मौजूदा पंप सेट को ऊर्जा कुषल पंप सेट से बदलना प्रस्तावित है। मै. ईईएसएल नें राजस्थान के 6 जिलों में दो लाख कृषि पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से बदलनें के लिए एक विस्तृत प्राजेक्ट रिपोर्ट

	किसानों के बिजली बिल में कमी से बचत करेगी डिस्कॉम के लिये लागत घाटे में कमी ओर सरकार के लिये सब्सिडी में कमी के माध्यम से नेतृत्व करेगी।	प्रस्तुत की है। चौमू उपखण्ड के तेजाजी फीडर के 93 कृषि पम्पों के आधारभूत आंकडों के अध्ययन और 50 कृषि पम्पो को बदलने का कार्य हाथ में लिया है। जिसमें से 28 पम्प बदल दिये गये है। यह कार्य एक प्रकिया निर्धारित करने और कृषि पम्पों से होने वाली ऊर्जा बचत के प्राकलन के लिए किया गया है। कृषि पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से बदलने की इस परियोजना की वित्तीय लागत और वास्तविक ऊर्जा बचत क्षमता के विष्लेषण करने पर इसे अन्य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्केन्डेसैन्ट बल्बों को एलईडी बल्बों से और सार्वजनिक पथ प्रकाष की लाईटों को ऊर्जा दक्ष लाईटों से बदला जा रहा है।
9.	**उपखंड में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधानः** हित धारकों ने यह बताया है कि जब वे उपखंड में जाते है तो उन्हें मार्ग दर्षन और सुविधा देने के लिये कोई भी नहीं है। डिस्कॉम उपभोक्ताओं को गाईड के लिये एक अधिकारी/उपभोक्ता मित्र कर्मचारी नियुक्त करने पर विचार कर सकता है। डिस्कॉम को बैठने की व्यव्यवथा इत्यादि करने में संकोच नही करना चाहिए क्योंकि यह न्यूनतम सुविधाएँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध करानी चाहिए।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि उपभोक्ताओं के लिये बुनियादी सुविधाएं अस्तित्व में है और डिस्कॉम के सभी उपखंड में उपलब्ध है। इसके अलावा उपखंड में एक उपभोक्ता क्लर्क उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये उपभोक्ता दोस्त के रूप में होता है।
10	**लागत लाभ विष्लेषण :** आयोग चाहता है कि डिस्कॉम निवेष योजना के तहत किये गये खर्चे का लागत लाभ विष्लेषण आयोग के विचार के लिये तीन माह में प्रस्तुत करें। इसी तरह की रिपोर्ट आरजीजीवीवाई कार्य और आरएपीडीआरपी कार्यक्रम पर भी प्रस्तुत करें।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि उप पारेषण एवं वितरण कार्य में निवेष, तंत्र की विष्वसनीयता बढाने, तंत्र का सुदृढीकरण और भविष्य की मांग को देखते हुए किया जाता है। निवेष के लिए प्रस्ताव फील्ड में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा पूरी सतर्कता एवम् लागत लाभ विष्लेषण के पश्चात् ही तैयार एवम् अग्रेषित किये जाते है। आरजीजीवीवाई एवम् डीडीयूजीजेवीवाई की विस्तृत रिपोर्ट अद्यतन स्थिति के साथ **अनुलग्नक 3** पर संलग्न की जा रही है।

11.	**दोष पूर्ण मीटरों को बदलना :** आयोग के अनुसार डिस्कॉम को नये मीटर/दोष पूर्ण मीटरों को बदलना चाहिये यह केवल वैधानिक बाध्यता नहीं है बल्कि ऊर्जा लेखांकन में मद्ददार है जो कि ऊर्जा अंकेक्षण के लिये आवष्यक है। डिस्कॉम उदय योजना के तहत एएमआर मीटर की स्थापना की अनुसूची का पालन करें।	याचिकाकर्ता दोष पूर्ण मीटर को निर्धारित समय सीमा में बदलने के संपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में दोष पूर्ण मीटर निर्धारित समय में बदलने के लिये दिषा निर्देष जेपीआर 5 . 820 दिनांक 11.11. 2016 एवम् जेपीआर 5 . 813 दिनांक 19.10. 2016 (**अनुलग्नक :4)** के द्वारा जारी कर दिये गये हैं जिसमें एआरओ, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक भंडार नियंत्रक के कर्त्तव्यों के साथ दोष पूर्ण मीटर बदलने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित है। नवम्बर 2016 तक कुल उपभोक्ताओं के लगभग 10 प्रतिषत मीटर खराब हैं जो कि बदले जाएगें। एएमआर मीटर की स्थापना के लिए नीति तैयार की जा रही है, जिसकें तैयार होने के पश्चात् निविदा आमंत्रित की जाएगी।
12.	**सुरक्षा नियमों की अनुपालना :** अगर याचिकाकर्ता सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिये कोई पैसा खर्च करना चाहता है तो उसे निवेष योजना/एआरआर के माध्यम से किया जा सकता है और आयोग कर्मचारियों के प्रषिक्षण और सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिये खर्चे को 2015–16 की सत्यापन और और बाद के वर्षों की एआरआर में विचार करने को तैयार है।	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि सीईए सुरक्षा अधिनियम 2010 की अनुपालना करने के लिये क्षेत्र अधिकारियों को लगातार दिषा निर्देष दिये जाते है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिये प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें सुरक्षा अधिनियम के अनुसार सुरक्षा उपायों को विस्तार से बताया जाता है। साथ ही अध्यक्ष डिस्कॉम के आदेष दिनांक 06.05.16 के द्वारा सुरक्षित बिजली अभियान लागू किया गया (**अनुलग्नक–5**) । उपभोक्ताओ को बिजली से सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मई 2016 और जुलाई 2016 में विज्ञापन भी दिये गये थें।
13.	**उदय योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की पालना**	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि उदय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न अधिकारियों को आवष्यक गतिविधियॉ निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिये पहल मालिक के रूप में नामित किया है और प्रत्येक गतिविधि की मासिक निगरानी की जाती है। इसे **अनुलग्नक 6** में सलंग्नित किया गया है।
14.	**ऊर्जा का अंकेक्षण :** डिस्कॉम ने कहा है कि फीडर पर	याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 11 केवी फीडर पर

	मीटर लगाने का कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो जायेगा। इसको ध्यान में रखते हुये आयोग यह विचार रखता है कि डिस्कॉम ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य मीटर रीडरों के आधार पर करें। बिना मीटर उपभोक्ता विषेषतः कृषि श्रेणी उपभोक्ता को अलग–अलग मीटर लगाने के साथ ही डिस्कॉम फीडर पर मीटर लगाने की जांच करें और इसके डेटा से वास्तविक उपभोग पर पहुंचे और चोरी के मामले में उचित कार्यवाही करें।	मीटर लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है। 11 केवी फीडरों का ऊर्जा अंकेक्षण करने के लिए एक कार्य आदेष अधीक्षण अभियंता (आईटी) ने अपने आदेष क्रमांक 727 दिनांक 30.09.2009 के द्वारा मै. एचसीएल को दिया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व) ने अपने आदेष क्रमांक 1540 दिनांक 04.11.2016 के द्वारा मै. पीडब्लुसी को डिस्कॉम के सभी 189 उपखण्डों का ऊर्जा अंकेक्षण करने का कार्य दिया है। और मै. पीडब्लुसी को अमीटरित और गैरउपभोक्ताओ को दी गई बिजली के सत्यापन की सत्यता को इसमें सम्मिलित करने के लिए कहा गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है।
15.	**ई आर पी क्रियान्वयन :** आयोग के अनुसार ई आर पी क्रियान्वयन एक ठोस और अच्छा कदम है और तेजी से लागू किया जाना चाहिये। इसके अलावा डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक सामग्री प्रबंधन और सूची प्रबंधन पर नजर रखे ताकि कार्यों के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो और साथ ही सामग्री की अतिरिक्त खरीद न हो।	राजस्थान डिस्कॉम ने केन्द्रीय सरकार की आाईपीडीएस योजना के अन्तर्गत 5 वर्ष के लिए ईआरपी के क्रियान्वयन के लिए एक योजना तैयार की है। इसके व्यय का एक भाग आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार अनुमोदित योजना लागत का 60 प्रतिषत अनुदान के रूप में स्वीकृत करेगी। मै. डीलोइट इडियां , जो योजना प्रबन्धन की ऐजेंसी है, को आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत ईआरपी क्रियान्वयन हेतु डीपीआर और आरएफपी तैयार करने के लिए डिस्कॉम की सहायता करने हेतु नियुक्त किया गया है। डिस्कॉम द्वारा इस ऐजेंसी की सहायता से तैयार की गई डीपीआर को अनुमोदन के लिए पीएफसी को प्रस्तुत कर दिया गया है। अनुमोदन के पश्चात् इआरपी उत्पाद और क्रियान्वयन भागीदार का चयन करने हेतु एक विस्ततृ आरएफपी जारी की जाएगी।इसका क्रियान्व्यन 2 वर्षो में पूर्ण होने की सम्भावना है।

अ 9: प्रार्थना

10.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है कि –

- वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु समग्र राजस्व आवष्यकता की यह याचिका स्वीकार करें।
- वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु इस याचिका के साथ संलग्न फार्मस व याचिका के प्रस्तुतिकरण में निवेदित सिद्धान्त व कार्य विधि को अनुमोदित करें।
- टैरिफ अनुसूची में प्रस्तावित परिवर्तनों का अनुमोदन करें।
- याचिका की त्रुटि भुल सुधार एवं विलम्ब को क्षमा कर संषोधन का अवसर प्रदान करें।
- इस याचिका में आवष्यकता होने पर पुनः प्रस्तुतिकरण व संषोधन आदि करने का अवसर प्रदान करें।